खण्ड-251, अंक-5
बुधवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1886
(19 अगस्त, 1964 ई0)

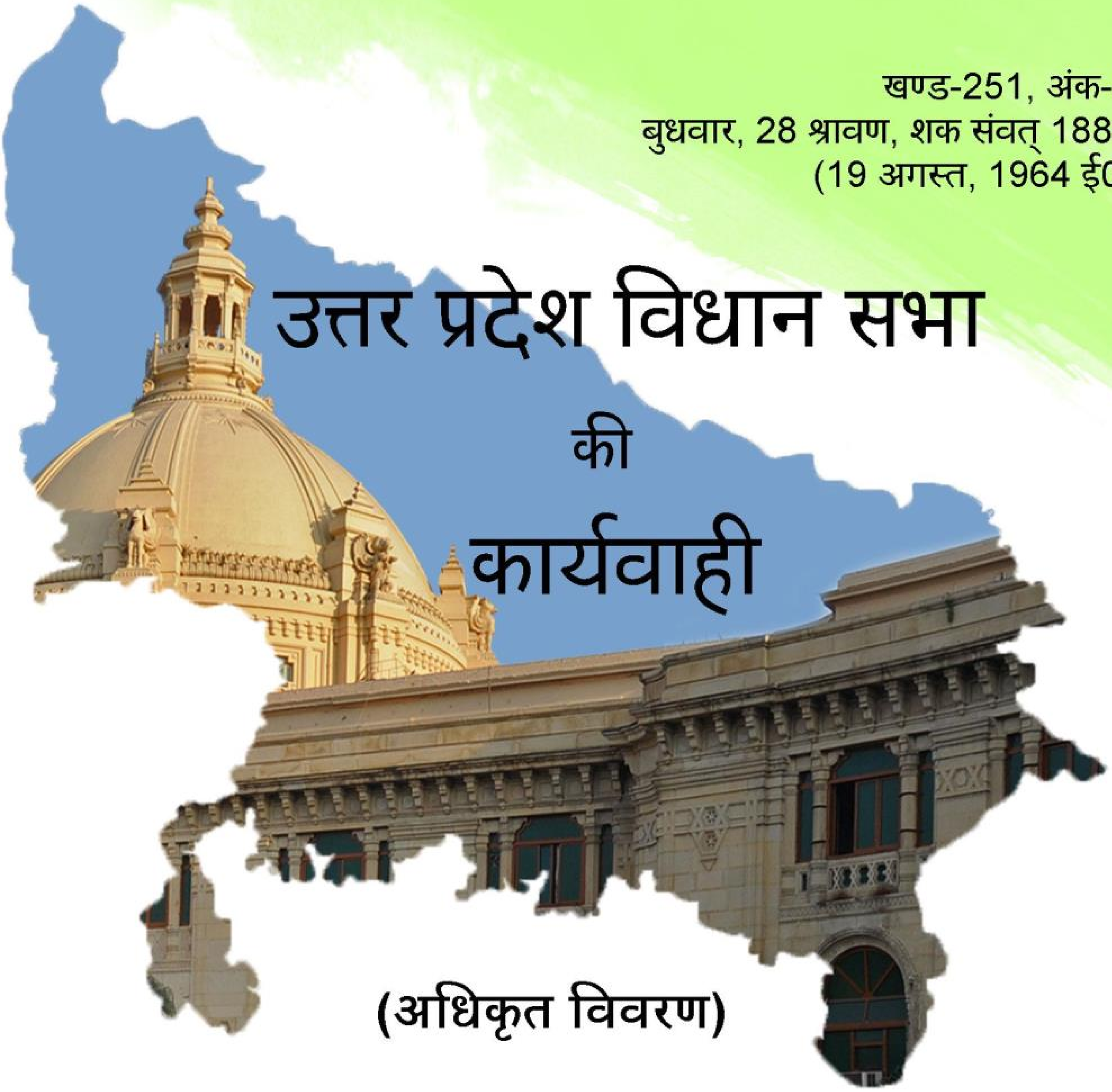

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 251 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३१५–३१८
सदन में घटित घटना एवं विरोधी पक्ष के सदस्यों के निष्कासन पर आपत्ति ..	३१९–३३१
प्रश्नोत्तर	३३१–३४९
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	३४९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	३४९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	३४९
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ के लिये समय निर्धारण की सूचना के संबंध में संकल्प (स्वीकृत) ..	३४९–३५०
देहरादून एक्सप्रेस में हुई डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य	३५०–३५१
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (पुरःस्थापित किया गया) ..	३५१
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित)	३५१–३७६
नत्थियां	३७७–३८६

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, श्री (वाराणसी)
गिरवर प्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री

चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेम सुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री

बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दु भूषण प्रताप सिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खान, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
महम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह सिशोदिया, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति, 'अंचल', श्री

रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय तथा गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

सदन में घटित घटना एवं विरोधी पक्ष के सदस्यों के निष्कासन पर आपत्ति

*श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कल कहा था, जो घटना हुई और जिस प्रकार घटी उससे हम लोगों को बड़ा दुख और क्षोभ हुआ। व्यवस्था के प्रश्न पर हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक सदस्य बोलना चाहते थे और उसको बगैर सुने हुए जो कार्यवाही हुई और उनको निकालने की जो आज्ञा हुई उससे सभी विरोधी दल के सदस्यों को बड़ा क्षोभ हुआ। और उसके उपरान्त मैं जो समझता हूं कि जिस प्रकार से एक विंडिक्टिव रूप धारण करके सरकार की ओर से व्यवहार हुआ है और अपने बहुमत के बल पर दबाने का प्रयत्न हुआ है उससे हमारी भावनाओं को बहुत चोट पहुंची है, और जैसा मैंने कहा, हम भी इस तरफ अपने कर्तव्य पालन के लिए आये हुए हैं और जिस प्रश्न पर जनता और देश की भावनाएं लोगों को बहुत कुछ मालूम हैं और सरकार को भी पता है, उसके बाद भी अगर उस प्रश्न पर हमको कोई दबाव से या विंडिक्टिव ऐटीट्यूड से दबाने का प्रयत्न हो और अगर हम उसको मान जायं और सहन कर लें तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते और उसे किसी स्थिति में हम करना नहीं चाहते। यह बिल्कुल हम लोगों का विचार है कि जो घटना उस दिन हुई वह सरकार की ओर से जानबूझ कर हुई और उसके कारण जो अव्यवस्था पैदा हुई वह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आज भी यह अनुभव करता हूं कि हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है वह लोकतंत्र में बहुमत के लिये शोभा नहीं देता। अगर लोकतंत्र को सही तरीके से चलाना है तो यह आवश्यक है कि सब प्रश्नों पर हम सब एक साथ बैठ कर विचार करें।

श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा)--

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये, व्यवस्था तो चल ही रही है।

श्री शारदाभक्तसिंह--

हमारी भावनाओं को समझकर और हमारे कर्त्तव्यों को समझकर ही किसी प्रश्न पर जो आवश्यक हो वह रवइया आपको अपनाना चाहिए। अगर हम एक महीने नहीं दो महीने बाहर रहें, इससे समस्या का हल निकलनेवाला नहीं है। यह विरोधी दल अपने कर्तव्यों को भूल जायेगा यदि वह जनता की भावना को सदन के समक्ष रखने में असमर्थ रहता है। मैं फिर कहता हूं कि सरकार की तरफ से उस दिन जो व्यवहार हुआ है उससे मुझे बड़ा क्षोभ है। इस स्थिति में हम लोग हर प्रकार से अपना कर्त्तव्य निभाने के लिये तैयार हैं उसके लिये चाहे हमें कठिन से कठिन मार्ग क्यों न अपनाना पड़े और आप यदि अपने बहुमत के बल पर हम लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करते हैं तो उसे भी हम सहर्ष स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। मगर हम किसी भी हालत में अपने कर्तव्यों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। उस दिन जो घटना घटी है उसको सहन कर लेना हम लोगों के लिये अच्छा नहीं होगा। यह हमारे लिये सम्भव नहीं है कि हम सरकार के इस विन्डिविटव रवइये के आगे झुक जायं। मुझे यही कहना था।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल जनतंत्र का अभिअंग होता है। १७ तारीख को जो घटना घटी वह जनतंत्र के लिये शोभनीय नहीं कही जा सकती। मुझे इस बात का बड़ा दुःख

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

है कि विरोधी पक्ष के कुछ लोगों में ऐसी भ्रान्ति है कि सरकार विरोधी पक्ष के साथ सहयोग करना नहीं चाहती और सरकार ने कोई विन्डिक्टिव तरीका अख्तियार किया है। सरकार के किसी भी व्यक्ति को किसी माननीय सदस्य को निष्कासित करने में खुशी नहीं होती और न ही हमारा यह विश्वास है कि विरोधी दल को निष्कासित करने से उसे किसी प्रकार भी दबाया जा सकता है ।

मुझे इस बात का दुख है कि जो विरोधी पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि भाषा विधेयक पर अपना मत व्यक्त करने के लिये सरकार उनको अवसर नहीं देना चाहती थी। ऐसी बात नहीं है। इस विषय पर विरोधी पक्ष के विचार सुनने के लिये सरकार बड़ी आतुर थी। वह चाहती थी कि विरोधी पक्ष का विचार उसको सुनने को मिले। और समय पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था। परन्तु माननीय विरोधी दल के नेता और विरोधी पक्ष को हमारे साथ सहानुभूति होनी चाहिये कि जब हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं तो जो कार्य सदन के सामने है वह सुचारु रूप से होना चाहिये। अगर यह नहीं हो सकता तो यह भी हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सदन के कार्य को चलाने के लिये जो आवश्यक कानूनी कार्यवाही हो, चाहे वह भले ही अप्रिय हो, हम उसे करने को बाध्य हो जाते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों के हृदय में क्षोभ है, दुख है, तो उससे कम दुख हमें भी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में इस बात की आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से भी इस बात का अहसास होना चाहिये कि हम सब यहां अपना कर्तव्य पालन करने के लिये आये हैं, जैसा कि शारदाभक्त सिंह जी ने भी कहा है। उन पर भी उत्तरदायित्व है कि सदन का कार्य गरिमा और उसके महत्व के साथ और शान्ति के साथ चले। शान्ति बनाये रखने में सब लोग सहयोग दें और जिनको यहां हम सबने इस चेयर में पीठासीन किया है उस चेयर का भी सम्मान किया जाय। कोई व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह भूल नहीं कर सकता, लेकिन कहीं तो एक अन्तिम निर्णय होता है; जैसे कि जुडीशियल प्रोसेस है कि हाई कोर्ट है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जिसका निर्णय जुडीशियरी में अन्तिम होता है। ऐसे ही यहां जिनको हमने इस चेयर के लिये चुना है उनका निर्णय होता है। अगर किसी को भूल की आशंका है तो उसके ऊपर जनतांत्रिक तरीकों से विचार हो सकता है। इसमें कोई हिचकिचाहट किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती। इसलिये परसों की घटना के लिये ज्यादा खेद गवर्नमेंट को है।

साथ ही इस पक्ष की भावनाओं को मैं विरोध पक्ष के सामने व्यक्त करना चाहता हूं कि यदि विरोध पक्ष के कुछ व्यक्ति यह सोच कर चलें--मैं नहीं कहता कि ज्यादातर ऐसे हैं, मगर कुछ हो सकते हैं--वह यह सोचें कि हम सदन को नहीं चलने देंगे तो यह स्थिति जनतंत्र के लिये बड़ी चिन्ताजनक होगी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनतंत्र के लिये जो वातावरण होना चाहिये वह देश में नहीं है और उसे विकसित और सुरक्षित बनाने के लिये जो प्रयत्न होना चाहिये उसका अभाव मालूम पड़ता है। इस विधान सभा में ही नहीं, देश की और विधान सभाओं में गणतंत्र के खिलाफ इस प्रकार की घटनायें हुई हैं, जिससे मैं कह सकता हूं कि एक हिन्सात्मक वातावरण बढ़ता चला जाता है जो कि देश के लिये घातक और चिन्ताजनक है। यदि जनतंत्र को कायम रखना है और यदि हमारा विश्वास गणतंत्र में है तो हमको एक साथ मिल कर, अभिमान को छोड़ कर, प्रयत्न करना होगा, बजाय इसके कि हम किसी भी एक प्रेस्टीज के प्वाइंट को लेकर दोषारोपण की कोशिश करें।

आपकी आज्ञा से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी प्रक्रिया नियमावली हमारे पथप्रदर्शन के लिये है। जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय दे दिया, दूसरा प्रश्न कोई सदन के विचाराधीन नहीं है, उस समय यदि कोई व्यक्ति प्वाइंट आफ आर्डर पर खड़ा हो और चेयर की तरफ से यह रूलिंग होती है कि इस समय कोई भी प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी नया विषय प्रस्तुत नहीं है, तो उस पर यह कहना कि लोगों को जबरदस्ती अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया, मैं समझता हूं कि यह सदन के साथ या चेयर के साथ

न्याय नहीं होगा। उस दिन जो प्वाइंट आफ आर्डर पेश किया गया था वह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं था। उसके पीछे नीयत एक आब्सट्रक्शन की थी; वह बात बीत चुकी है, और हम चाहते हैं कि आगे सदन का कार्य शान्ति के साथ अच्छे वातावरण में चले, पहले की जो घटनायें हैं वे एक अतीत की वस्तुयें हो जावें और हम सब मिलजुल कर कार्य करें। अपोजीशन का यह भी फ़र्ज़ हो जाता है कि यदि उनमें से कुछ भाई नियमों के विपरीत कार्य करते हैं तो उनके ऊपर अपना नैतिक बल इस्तेमाल करें। घटनायें चाहें किसी भी तरफ से हों कुछ भी हो और चाहे कारण कुछ भी हो, वे अशोभनीय हैं इसके लिये सभी को दुख होता है। हमारी ओर से न कोई प्रतिशोध की भावना थी और न कोई पहले से निश्चय था। हमारी तो एक ही भावना है कि सदन का कार्य चले। उसके लिये हम सबको अपना कर्तव्य-पालन करना चाहिये। मुझे विश्वास और आशा है कि विरोधी दल इन भावनाओं की प्रतिध्वनि करेगा और उसके लिये जरूरी है कि सदन का काम शान्ति के साथ और तर्क-वितर्क के साथ चले, प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिले। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि न्युसेंस को बढ़ावा दिया जाय, सौजन्यता और विवेक की क्षति हो गई है, कुछ व्यक्ति जो जबरदस्ती बोलना चाहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाय, इससे सदन के सब लोगों के अन्दर रोष है, उनको क्षोभ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करें और किसी भी तरह से न्युसेंस को बढ़ावा या प्रीमियम न दिया जाय। यदि किसी भी माननीय सदस्य के हृदय में दुख है तो उसके लिये हमको भी खेद है।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, भाषण दोनों तरफ़ से हुए परन्तु उनसे कोई नतीजा नहीं निकला। शायद ठीक ऐसे ही भाषण देने के लिये सदन का प्रत्येक सदस्य तैयार है। स्पष्टतया यह बात मालूम होनी चाहिये कि आपने यह महसूस किया या नहीं कि अपोजीशन के साथ ज्यादती हुई है और उसके लिये रिग्रेट करने के लिये तैयार हैं या नहीं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

एक मिनट का मौक़ा मुझे भी मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह बहस नहीं हो रही है। आप कृपा कर बैठ जावें।

आदरणीय सदन से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। न्युसेंस वैल्यू किसी की है या नहीं, यह निश्चय करना मेरा काम है। हो सकता है कि ऐसे अवसरों पर सदन के माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित करें। माननीय संसदीय मंत्री अगर यह न कहते कि न्युसेंस वैल्यु के लोगों का नियंत्रण किया जाय तो अधिक उपयुक्त होता।

दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि विरोधी दलों में इस प्रकार की आशंका पैदा हो गई थी कि कांग्रेस की तरफ से या सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से एक बदला लेने की भावना, एक रोष की भावना, जाग्रत हुई, जिसके फलस्वरूप लोग इंगित किये गये। मैं उस समय यहां नहीं था। लेकिन जो घटनायें, स्वीकृत घटनायें और तथ्य हैं उनसे विरोधी दल के हृदय में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक था, क्योंकि उस कोलाहल में कोई मंत्रिमंडल से बातचीत करने वाला और यहां पीठासीन व्यक्ति से बातचीत करने वाला आवागमन का कोई व्यक्ति विशेष हो, तो उससे शंका होना स्वाभाविक है कि कदाचित एक दूसरे के संकेत से यह कार्यवाही हो रही है। लेकिन जो कुछ सरकार की तरफ से कहा जाता है या जो बातचीत मेरी उपाध्यक्ष महोदय से हुई और जो उनसे मुझे मालूम हुआ और जिन बातों को उन्होंने मेरे सामने रखा उन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वह ऐसी परिस्थितियां थीं और इतना कोलाहल था कि जब किसी को माननीय उपाध्यक्ष इंगित करते थे, उनकी आवाज उस शोरगुल में वहां मंत्रि मंडल के सदस्यों तक नहीं

[श्री अध्यक्ष]

पहुंचती थी, अतः उनको सूचना देनी पड़ती थी कि अमुक व्यक्ति को हमने इंगित किया है। यह हो सकता है कि इस विषय में मतभेद हो दोनों तरफ। लेकिन यह होते हुये भी अब जब सदन के सामने माननीय बनारसीदास ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारे हृदयों में यह भावना नहीं है कि हम किसी प्रतिशोध से प्रेरित होकर किसी का सहयोग नहीं चाहते या विन्डिक्टिवनेस के परिणाम-स्वरूप हम यह चाहते हैं कि कोई निकल जाय ऐसी भावना नहीं है तो मेरा इस आदरणीय सदन से निवेदन यह था कि इस प्रकार का एश्योरेंस जो सरकारी पक्ष की तरफ से इस समय सदन के सामने आ रहा है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिये। हम माननीय नेता विरोधी दल की भी बातों का आदर करते हैं कि विरोधी दल के विचार जितने भी तरीकों से वह रखना चाहें, रख सकते हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी बात में यह भी एक तरह से संकेत कर दिया है कि वह यह नहीं चाहते कि नियमों को तोड़ कर वह इस सदन की कार्यवाही में अव्यवस्था पैदा करें। हम इस बात का आदर करते हैं और हम यह भी आशा करते हैं कि अब सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों इस बात को ध्यान में रखेंगे और हमारी कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से चलने देंगे।

*श्री शारदाभक्तसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, मैं यह आशा करता था कि जिन परिस्थितियों में यह घटना घटी और जो अवस्था पैदा हुई उसमें माननीय मंत्री जी, हम लोगों को जो क्षोभ हुआ और जो हमारे दिलों में परेशानी थी, उसको अनुभव करते हुये, ऐसे अगर कुछ तथ्य हुये हैं, जिनसे यह शंका होनी संभव है और जो भी चाहे बात हो कोलाहल के कारण या जैसे भी हुआ हो, लेकिन उससे हमारे हृदय पर जो आभास हुआ है, उन सब बातों को मैंने आपसे कहा और इस समय भी कहा, लेकिन मंत्री जी या तो हम लोगों की बात को अनुभव नहीं कर रहे हैं या अनुभव करते हुये भी शायद वह इसे उचित नहीं समझते कि अगर किन्हीं कारणों से सरकार के कारण ऐसी बात पैदा हो गई हो, और दूसरों को उससे दुख हुआ हो, तो उसके लिये दुख प्रकट करना चाहिये मुझसे ऐसी बात होती दो शायद मुझे कोई कठिनाई इसमें न होती। मेरे कारण सरकार के सामने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो तो उसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन मंत्री जी ने भाषण दे दिया और हम लोगों की न्युसेंस वैल्यू की बात भी कह दी, तो मैं समझता हूं कि इस रवैये से और जिस बात को वह कड़ाई से कहना चाहते हैं कि हमारी न्युसेंस वैल्यू को वह खत्म करना चाहते हैं, उससे हम लोगों को और भी क्षोभ हुआ है, इसलिये अगर सरकार आज भी उसी परिस्थिति में है और उसी रवैये से अब भी काम करना चाहती है, तो फिर, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है अपने सम्मान और अपने कर्त्तव्यों को निभाने के लिये और जो जनता विरोधी पक्ष से आशा रखती है उसको पूरा करने के लिये और कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि हम उस अपने पक्ष को या अपने स्टैन्ड को बराबर रखें। मैं खुद उत्सुक था उनको सुनने के लिये लेकिन मंत्री जी को सुनने के बाद मुझे और भी दुख हुआ और इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं और बड़े दुख से कि यह बात मैं नहीं चाहता था आखिरी दम तक, लेकिन अब और कोई चारा नहीं है और हम उस रवैये को यहां रखना चाहते थे जो सरकार के सामने है। अब इस स्थिति में हम मजबूर हैं, सरकार जो बल प्रयोग करना चाहे करे।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, यह जो परिस्थिति पैदा हुई है, वह दो दिनों से पैदा हुई है, कल सदन को स्थगित भी करना पड़ा। विरोधी दल को जो इस संबंध में शिकायत थी वह मैं आपको बता दूं। एक बात तो यह थी कि माननीय विरोधी पक्ष के मेम्बरों ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस प्रश्न को बगैर सुने हुये ही अस्वीकृत कर दिया गया। अगर इसी प्रकार से व्यवस्था के प्रश्नों को न सुना गया, बगैर सुने हुये ही रूल आउट कर दिया गया तो इस सदन में हम कैसे रह सकते हैं। दूसरी फीलिंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह थी कि एक ऐसा विवादग्रस्त बिल इस सदन के सामने था जिस पर सब लोग बोलना चाहते थे और सदन में अपने विचारों को रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस परिस्थिति का नाजायज लाभ उठा कर बदले की भावना से लोगों को निकाला गया और ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करा लिया गया। यह बड़ी गहरी भावना थी कि इस सदन को ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी राय प्रकट करने का मौका नहीं मिला। हमने इसका रास्ता भी सुझाया था कि किस प्रकार से वह बिल फिर से आ सकता है। लेकिन इसका कोई निराकरण माननीय बनारसीदास के भाषण से नहीं हुआ। तीसरी बात यह थी कि जिस प्रकार से लोगों को सदन से निकाला गया, एक-एक का नाम माननीय उपाध्यक्ष को भेजकर निकाला गया, उससे बदले की भावना जाहिर होती थी। इससे हमारी संसदीय परम्पराओं का हनन होता है। जो खड़े थे और उनके पीछे जो बैठे भी थे उनको किस प्रकार से निकाला गया? उन्होंने अपना नाम सुना भी नहीं और मार्शल उनके पास गया और उनसे कहा कि चलो। इस प्रकार से विरोधी पक्ष को अपनी बात नहीं रखने दिया गया और २८ सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इस बात से हमें कितनी ठेस पहुंची है। इसके लिये भी माननीय बनारसीदास ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया और कहा कि लखपत राम शर्मा जानबूझ कर सदन के कार्य में रुकावट पैदा कर रहे थे। इस प्रकार से सरकार की तरफ से जानबूझ कर जनतंत्र की अवहेलना की गयी है, विरोधीदलों को अपमानित किया गया है और उस गलती को रियलाइज भी नहीं किया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रदेश में खाद्यान्न की जो खतरे की परिस्थिति है, उसको न सुलझा कर इस प्रकार असंसदीय तरीके से सरकार कार्य करना चाहती है और अपनी नीतियों में परिवर्तन करना नहीं चाहती। जो भूखी जनता है उसको खाना न दे सकने के लिये जो नीतियां जिम्मेदार हैं, सरकार उन नीतियों को छोड़े, लेकिन सरकार तुली हुई है ऐसी परिस्थितियों में काम न करने देने के लिये। हमें अफसोस है जो स्पष्टीकरण माननीय बनारसीदास ने दिया है, उससे हमारा संतोष नहीं होता। उन्होंने अफसोस जाहिर करने के बजाय उल्टा अपोजीशन को ही कल्प्रिट बताया है। जब सरकार ऐसे रवैये को अख्तियार करने पर तुली हुई है, हम जब कि बोलने नहीं दिया जायगा, महत्वपूर्ण बिलों को इसी प्रकार से पास करा लिया जायगा, इस तरह का व्यवहार करके उस गलती को रिएलाइज भी नहीं किया जायगा, इससे जाहिर है कि सरकार मिलजुल कर कार्य नहीं करना चाहती है। तो हम भी मजबूर हैं और अगर सरकार बगैर विरोधी पक्ष के काम करना चाहती है तो करे।

(श्री दाऊदयाल खन्ना का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, आपने नवल किशोर जी की ओर इशारा किया लेकिन श्री दाऊ दयाल खन्ना जी ने अपना हाथ दिखा दिया और आपने उनको मौका दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

साधारण रूप से यह नियम रहा है कि अगर कोई मंत्री शासन की ओर से बोलना चाहता है तो साधारण सदस्य की तुलना में मंत्री को पहले समय दिया जाता है।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, ये आपको धमकाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैठ जायं।

(विरोधी पक्ष के सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

श्रीमन्, मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बताना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

जब यहां सब लोग खड़े हैं तो बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

माननीय नेता विरोधी दल, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठ जायं । जो मेरी भावनायें थीं वे मैंने रख दीं.....

श्री शारदाभक्तसिंह—

मुझे अफसोस है कि मैं उस समय उपस्थित नहीं था । बुखार में पड़ा था लेकिन जैसे ही मैंने सुना, मैं बुखार में ही यहां आया और उसी समय से प्रयत्न कर रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा हल निकल आये जिससे हम सब मिल कर काम कर सकें । जो प्रयत्न मुझ से हो सकता था वह मैंने किया, लेकिन उसके बाद भी हम पर आरोप लगाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय हमारे सामने प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही चले या न चले । जहां तक मेरे कर्त्तव्य का प्रश्न है, अध्यक्ष के नाते वह यह है कि जब तक सदन में कोई इस प्रकार का निश्चित प्रस्ताव पास न हो जाय कि सदन की कार्यवाही समाप्त की जाय, मैं मजबूर हूं कि सदन की कार्यवाही संचालित करूं । मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हमें सहयोग दें और सदन की कार्यवाही करने दें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आप विरोधी दल के सदस्यों से ही कहते हैं या सरकार से भी कहते हैं ? सरकार से भी तो कुछ कहें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाऊ दयाल खन्ना खड़े हुये थे, वे मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं । आप बैठ जायं, तो वे कुछ बोल लें ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

उनके बोलने से तो जो कमी रह गयी है वह भी पूरी हो जायगी, मैं तो यही उम्मीद करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी परिस्थिति में माननीय विरोधी दल के नेता से यह निवेदन है कि अगर वे हमें सहयोग नहीं दे सकते, तो कृपा करके सदन छोड़ दें ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

श्रीमन्, मैं उस दिन बैठा हुआ था । आप ईमानदारी से मुझे सारी बातें कहने दें कि माननीय सदस्यों के खड़े होने की स्थिति क्या है ।

श्री अध्यक्ष—

जो बात आप कहना चाहते हैं, उसके बारे में दोनों ओर से सब बातें कही जा चुकी हैं ।

मैं माननीय विरोधी दल को इंगित तो करना नहीं चाहता, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सदन की कार्यवाही को होने दें या वे कृपा करके सदन छोड़ दें। माननीय नता विरोधी दल, मेरा फिर आप से निवेदन है कि आप अपने साथियों के साथ सदन छोड़ें।

(माननीय नेता विरोधी दल के सदन न छोड़ने पर)

मार्शल, माननीय नेता विरोधी दल को सम्मानपूर्वक प्रार्थना करके इस सदन के बाहर जाने में सहायता दें।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री शारदा भक्त सिंह सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय गया प्रसाद जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके सदन छोड़ें (कुछ क्षण पश्चात्)।

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नेता होने के कारण आपसे मेरा अनुरोध है कि सदन का कार्य संचालन करने के लिये आप कृपा करके सदन छोड़ें।

(श्री गयाप्रसाद के सदन न छोड़ने पर)

मार्शल, माननीय गयाप्रसाद जी को सदन के बाहर सम्मानपूर्वक ले जाने में सहायता दें।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री गयाप्रसाद सदन से बाहर नहीं गये।)

मार्शल, माननीय गयाप्रसाद जी का हाथ पकड़ कर उनको सदन के बाहर ले जायं, अगर उन्हें चलने में दिक्कत हो।

(मार्शल के हाथ पकड़ने पर भी श्री गयाप्रसाद सदन से बाहर नहीं गये।)

(कुछ देर पश्चात्)

माननीय गया प्रसाद जी, इस सदन का गौरव इसी में है कि आप सदन के बाहर चले जायं।

श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी)--

गौरव तो पहले ही खत्म हो चुका है।

श्री अध्यक्ष--

मान लिया, लेकिन आपकी शोभा इसी में है कि अगर इन लोगों ने उस गौरव को खो दिया है तो आप उस गौरव की रक्षा करें।

श्री गयाप्रसाद--

कैसे रक्षा हो सकती है जब तक आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं?

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, गार्ड्स की सहायता से माननीय गया प्रसाद जी को सदन के बाहर किया जाय।

(मार्शल कौंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री गयाप्रसाद को सदन से बाहर ले गये।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रजीत यादव, आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था कि किसी तरह से परिस्थिति सम्भल जाय लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसे सम्भालने की कोशिश नहीं हो रही है। आप भी जानते हैं कि सारे प्रदेश में कल कई जगह लाठी चार्ज हुआ है और लोग कुचले जा रहे हैं लेकिन उसे जब हम कहना चाहते हैं तो सरकार उसे सुनने के लिये भी तैयार नहीं है, फिर हम क्या करें ?

श्री अध्यक्ष—

मेरा आपसे आग्रह है कि आप सदन छोड़ें।

(श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा सदन न छोड़ने पर)

मार्शल, माननीय सदस्य को सम्मानपूर्वक सदन के बाहर ले जायं।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री चन्द्रजीत यादव सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, आप अपना आसन ग्रहण करें, वरना सदन छोड़ें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आप स्वयं कहते हैं कि सरकारी पक्ष से ज्यादती हुई, तो आप सरकारी पक्ष व माननीय बनारसी दास जी को भी तो समझायें कि जो गलती उन्होंने की है उसके लिये वे खेद प्रकाश करें और इस बात का वादा करें कि आइन्दा ऐसी बात उनकी तरफ से न होगी। अगर माननीय बनारसी-दास जी आपकी बात नहीं मानते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें क्योंकि कांग्रेस वाले भी आपके पक्ष में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, आप कहते हैं कि मैंने कहा था कि सरकारी पक्ष ने या माननीय बनारसी दास ने गलती की है....

श्री नेकराम शर्मा—

आप महसूस करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको ही नहीं समझा पा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठ जायं या सदन के बाहर चले जायं।

श्री नेकराम शर्मा—

उधर वालों को भी तो समझाइये।

(कुछ देर पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय नेकराक शर्मा से प्रार्थना करें वे सदन के बाहर चले जांय।

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय बनारसी दास जी से भी तो कहिये।

(कुछ देर पश्चात्)

मेरे लिये आपका क्या आदेश है ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया सदन छोड़ें ।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री नेकराम शर्मा सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

अब श्री भीखालाल, श्री शराफत हुसैन तथा श्री ऊदल कृपया सदन छोड़ दें या बैठ जायं।

(माननीय सदस्यों द्वारा न बैठने पर)

मार्शल, आप तीनों सदस्यों को सम्मानपूर्वक बाहर जाने में सहायता दें।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री भीखालाल, श्री शराफत हुसैन तथा श्री ऊदल सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

अब श्री रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री रघुवीर भी सदन छोड़ें ।

(श्री रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री रघुवीर सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

अब श्री रामेश्वरनाथ चौबे, श्री चन्दनसिंह तथा श्री छांगुर भी सदन छोड़ दें ।

(माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

वह ५ सदस्य जो उधर खड़े हैं उन को बाहर जाने में मार्शल सहायता करें ।

(पांचों माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष--

जो स्वयं अव्यवस्थित हो वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मैं व्यवस्थित रूप से खड़ा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन के नियमों की व्यवस्था के प्रतिकूल और मेरे आदेश के विरुद्ध खड़े हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

आपने ५ सदस्य कह दिया; वह कौन सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उन्हें इंगित नहीं कर रहा हूं, इंगित करता तो नाम लेता। यह जो सदस्य खड़े हुये हैं वे भी सदन छोड़ें। माननीय कमलासिंह जी आप भी सदन छोड़ें। माननीय बाबूलाल जी, आप भी कृपया सदन छोड़ें।

श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपको मेरा नाम याद है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, आप कृपया सदन छोड़ें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, कम से कम इतना होना चाहिये कि अपोजीशन को अपना मत व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप स्वतः सदन छोड़ें। मार्शल को भेजने के लिये आप मजबूर न करें।

(श्री कमलासिंह यादव सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाबूलाल जी, आपसे भी निवेदन है कि सदन छोड़ दें।

(श्री बाबूलाल सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णपाल सिंह जी, आप और आपकी लाइन के पूरे साथी सदन छोड़ कर चले जायं। आज के लिये ही सिर्फ आप लोग निलम्बित हैं। माननीय श्रीराम और लोकपालसिंह जी, आप भी सदन छोड़ दें। माननीय चन्द्रपाल जी, आप भी सदन छोड़ दें।

(श्री कृष्णपालसिंह तथा अन्य माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरीशकुमार जी, आप भी सदन छोड़ दें।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आप प्रजातन्त्र की बुनियादों को मजबूत करने में मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि आप एक बार पुनः अपने निर्णय पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

विचार कर लूंगा, लेकिन इस समय आप सदन छोड़ दें। माननीय हरीशकुमार और उनके जनसंघ के जितने साथी खड़े हैं कृपया सदन छोड़ दें।

(श्री हरीशकुमार गंगवार तथा जनसंघ दल के अन्य सदस्य सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मैनेजरसिंह, आप अपनी मैनेजरी में जायं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आप मार्शल को भेजें जो आगे-आगे चले।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, माननीय मैनेजर सिंह को सदन के बाहर ले जायं ।

श्री मैनेजरसिंह--

मुझे उस कुर्सी से शिकायत है । दोष तो किसी और का है चाहे जिसकी वजह से हो । (श्री मैनेजरसिंह मार्शल के साथ सदन छोड़ कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय उमाशंकर और माननीय गंगाप्रसाद भी सदन छोड़ दें ।

(माननीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।)

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

श्रीमन्, मैं सामने की देखी बात कह रहा हूं । मुझे दुख है माननीय बनारसीदास के व्यवहार से । वह कल बैठे-बैठे मुक्का दिखा रहे थे और डिप्टी स्पीकर को माननीय बैजनाथसिंह बंश नाम बता रहे थे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय दौलतलाल और माननीय मंगलदेव तथा उनके पीछे खड़े सदस्य कृपया सदन छोड़ दें । माननीय हिम्मतसिंह जी, आप भी जायं ।

(माननीय सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्रसिंह जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन छोड़ दें ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से स्वयं जाऊंगा, परन्तु आपसे निवेदन करूंगा कि जो कल मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था.....

श्री अध्यक्ष--

आप ठीक कहते हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

माननीय हुकुम सिंह और माननीय बसन्त सिंह जी ने कहते हुये माना था कि सुनाई नहीं पड़ रहा था ऐसे कोलाहल में । जबकि सुनाई नहीं पड़ रहा था तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार मीटिंग हो गयी, किस प्रकार प्रस्ताव पेश हुआ, किस प्रकार बिल पास हो गया और किस प्रकार कार्यवाई व्यक्त हुई जबकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ? जब सदन में कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो किस तरह से यह कार्यवाही विधिवत होगी ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप कृपया बैठ जायं तो हम उस पर विचार करें । आप यदि नहीं बैठते हैं तो सदन त्याग करें ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

मैं सदन छोड़ रहा हूं, परन्तु आप इस पर समुचित व्यवस्था दें कि किस प्रकार से सोमवार की कार्यवाही विधिवत है ।

(श्री राजेन्द्रसिंह सदन छोड़कर बाहर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय सत्यनारायण जी कृपया सदन छोड़ें ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, हम तो चाहते हैं कि आप इंगित करें और हम लोग १–१ महीने तक निलंबित हों ताकि हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जायं और वहां पर मैदान बनायें ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो हम सोचेंगे । अब श्री मेवालाल, श्री राहत मौलाई, श्याम लाल जी, अगर आपको पसन्द नहीं है तो आप सदन छोड़िये । माननीय विप्र जी तथा माननीय खेम चन्द जी, आप भी या तो सदन छोड़ दें या बैठ जायं ।

(श्री श्यामलाल को छोड़कर अन्य सदस्य सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री श्याम लाल (जिला बस्ती)—

आज जिस तरह का वातावरण यहां चल रहा है इसकी प्रतिक्रिया देश और प्रदेश में क्या होगी, श्रीमन्, यह भी हमें महसूस करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया सदन छोड़ने की कृपा करें ।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, आपको चाहये कि आप विरोधी दल के माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें । इसका मतलब है जनतंत्र का वातावरण बनाना । श्रीमन्, आप हमारी बात सुन लें । आज बी० बी० सी० लन्दन में और वायस आफ अमेरिका में जो इस सदन में हो रहा है उसको भी सुनिये ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप बैठ जायं तो मैं बता दूं ।

(श्री श्यामलाल भी सदन से बाहर चले गये ।)

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं अन्त तक बैठा रहा । इसलिए नहीं कि मुझे अपने दाहिनी और बायीं ओर बैठने वाले साथियों से सहानुभूति नहीं है, परन्तु कहावत है कि "जब तक सांस तब तक आस।" मुझे अब तक आशा थी कि इधर और उधर के बैठने वालों में सद्बुद्धि आ जाय, परन्तु ऐसा नहीं हो सका । मैं समझता हूं कि समझौता संभव था और बहुत निकट पहुंच गया था परन्तु केवल माननीय बनारसीदास जी के वक्तव्य से वातावरण बिगड़ गया । उन्हें तो मरहम का काम करना था, परन्तु उन्होंने घाव पर नमक छिड़क दिया । उसके कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हो गयी । श्रीमन्, इस समय जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है उसमें हमारा बैठे रहना भी किसी प्रकार उपयुक्त नहीं है, इस प्रजातंत्र के लिए । इसलिए मैं और हमारी स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य इस सदन का त्याग कर रहे हैं और उस समय तक नहीं आवेंगे जब तक यह महसूस नहीं करेंगे कि प्रजातंत्र को चलाने का उचित वातावरण हो गया है ।

(इसके उपरान्त स्वतन्त्र पार्टी के समस्त सदन त्यागकर चले गये ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)

श्रीमन्, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं ?

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त होने दीजिये ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १९ अगस्त, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

डाक्टरों के स्थानान्तरण

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी डाक्टर ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक से सेवा कर रहे हैं ? उनको वहां से ट्रांस्फर न किये जाने का क्या कारण है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

१५३ पुरुष डाक्टरों के तबादले इसलिये नहीं किये गये चूंकि वह विशेषज्ञ हैं, या विशेष कार्य कर रहे हैं अथवा प्रशासकीय कारणवश एक ही स्थान में रोके गये हैं । महिला डाक्टरों के तबादले या तो प्रशासकीय कारण वश नहीं किये गये हैं अथवा उनके पति उसी स्थान पर कार्य करते हैं या रहते हैं । अतः तबादला नहीं किया गया ।

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो डाक्टर सात साल से अधिक से शहरों में ही सेवा कर रहे हैं उनको कस्बों, देहातों और पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में ट्रांस्फर न करने का क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पी०एम० एस० (प्रथम) पुरुष एवं महिला डाक्टरों के अधिकतर स्थान शहरों में जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों इत्यादि के हैं । अतः इस वर्ग के डाक्टर शहर में ही रहते हैं । पहाड़ी क्षेत्रों में ये बारी-बारी से भेजे जाते हैं ।

जहांगीराबाद विकास खण्ड से प्रधानों का शिकायती-पत्र

*३—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित) श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको और विकास आयुक्त को उन ३७ ग्राम सभाओं के प्रधानों की ओर से, जो कि पहले विकास खंड के ऊंचे गांव में थीं और अब जहांगीराबाद विकास खंड (जिला बुलन्दशहर) में नये संगठन के पश्चात् हो गयी है, हाल ही में खत मिले हैं ? यदि हां, तो उन खतों में प्रधानगण ने क्या आपत्ति और क्या दरख्वास्त की है ? मंत्री जी ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जी हां, ३७ ग्राम सभाओं के प्रधानों की ओर से, विकास मंत्री जी को संबोधित एवं अन्य अधिकारियों को पृष्ठांकित एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें मुख्यतः जहांगीराबाद क्षेत्र समिति के संगठन को अप्रजातांत्रिक बताया है, और २५-२-६४ की मुख्यालय के चयन के लिए की गई समिति की मीटिंग अवैधानिक कही गई है, जैसे कि उसमें विकास क्षेत्र अधिकारी ने पक्षपात आदि किया। साथ ही, प्रार्थना की गई है कि विकास क्षेत्र का मुख्यालय जहांगीराबाद कस्बे के स्थान पर किसी ग्राम में होना चाहिये।

१५-२-६४ की उक्त मीटिंग में जहांगीराबाद में ही मुख्यालय बनाने के पारित प्रस्ताव पर पंचायती राज विभाग द्वारा प्रसारित नये नियमों (प्रति संलग्न) के अनुसार विचार होगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७७-३७८ पर।)

*४—श्री मैनेजरसिंह (अनुपस्थित) श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित) तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने विशेष परिस्थितियों में नये संगठन के पश्चात् जहांगीराबाद विकास खंड हेडक्वार्टर को जहांगीराबाद के बजाय जाडौल किये जाने पर जोर दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

यह विषय क्षेत्रीय विकास समिति के सम्मुख दिनांक १५-२-६४ की मीटिंग में रक्खा गया था जिसमें क्षेत्रीय विकास समिति के कुल ८९ सदस्यों में से ७० सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने बहुमत से विकास खंड का मुख्यालय जहांगीराबाद में ही स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया। परन्तु चूंकि इस मामले में जिला परिषद् स्तर पर वर्तमान नियमों के अनुसार कार्यवाही नहीं हुई थी अतः जिला नियोजन अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी हो गये हैं कि वह इस विषय पर नये नियमों के अनुसार कार्यवाही करें; तदुपरान्त सम्पूर्ण प्रस्ताव शासन के विचारार्थ भेजें। विकास खंडों में मुख्यालय स्थापित करने के संबंध में नये नियम पंचायती राज (२) विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत बनाये गये हैं और उन्हीं के अनुसार अब इस विषय पर कार्यवाही की जाती है।

हलदरमऊ ब्लाक से शिकायती-पत्र

*५—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ०, हलदरमऊ, के बी० डी० सी० के सदस्यों ने कोई शिकायती-पत्र श्रीमान् जिलाधीश, गोंडा, श्रीमान् विकास आयुक्त तथा मुख्य मंत्री को दिनांक २० अप्रैल, १९६४ को भेजा है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ तथा कानपुर मेडिकल कालेजों में साइकियाटरी की शिक्षा

*६—श्री बसंत सिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार लखनऊ तथा कानपुर के मेडिकल कालेजों में Psychiatry की शिक्षा देने की व्यवस्था करेगी ताकि इन कालेजों के छात्र अपने उस समय तथा धन का सदुपयोग कर सकें जो उन्हें उक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिये आगरा जाने में व्यय करना पड़ता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

लखनऊ तथा कानपुर मेडिकल कालेजों में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करने का अभी विचार नहीं है ।

*७-८—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटा दिये गये ।]

ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना

*९—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत कुल कितना रुपया तृतीय पंचवर्षीय योजना में खर्च होगा और उसकी जिलेवार तालिका क्या है ?

श्री राममूर्ति—

ग्रामीण जन शक्ति उपयोग योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक अनियोजित योजना है अतः ठीक तौर से यह नहीं कहा जा सकता कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस योजना पर कुल कितना रुपया खर्च होगा अथवा जिलेवार कितना खर्चा होगा। इस योजना के अन्तर्गत आयोजना आयोग की राय से प्रत्येक वर्ष कार्य-क्रम स्वीकृत किया जाता है तथा उसी के अनुसार रुपये की मांग की जाती है तथा खर्चा किया जाता है ।

*१०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी-कितनी रकम किस-किस वर्ष के लिये और किस-किस कार्य के लिये मिलेगी ?

श्री राममूर्ति—

इस योजना के अन्तर्गत कार्य क्रम योजना आयोग की सम्मति से प्रतिवर्ष स्वीकार किया जाता है । भारत सरकार प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग धनराशि स्वीकार नहीं करती, बल्कि प्रत्येक वर्ष जितना रुपया इस योजना के अन्तर्गत व्यय किया जाता है उसी के आधार पर यह आधा रुपया ऋण के रूप में तथा आधा रुपया ग्रान्ट के रूप में राज्य सरकार को प्रदान कर देती है अतः भारत सरकार द्वारा भविष्य में इस योजना के लिए मिलने वाली रकम का ब्योरा देना सम्भव नहीं है ।

*११—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या विकास मंत्री कृपया इस योजना की प्रगति से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७९ पर)

नारायण बगड़ विकास खण्ड में अस्पताल की आवश्यकता

*१२—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमांत चमोली जिले के अन्तर्गत नारायण बगड़ विकास खंड के लिये क्या कोई एलोपैथिक अस्पताल स्वीकृत किया गया है और क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त अस्पताल के भवन निर्माण होने तक नारायण बगड़ बाजार के लोग किराये पर अस्पताल के लिये अपने बहुत सारे मकान देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो उसे क्यों नहीं खोला और चालू किया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं । इस प्रश्न पर सरकार अभी विचार कर रही है तथा आशा है कि नारायण बगड़, जिला चमोली के लिये शीघ्र ही एक एलोपैथिक चिकित्सालय की स्वीकृत प्रदान कर दी जायगी । चिकित्सालय स्थापनार्थ आदेश हो जाने के पश्चात् वहां की जनता द्वारा जो मकान आदि किराये पर दिये जायेंगे उन्हें सरकारी भवन बनने तक किराये पर लेने का प्रयत्न किया जायगा ।

*१३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटा दिया गया ।]

गोरखपुर जिले में फाइलेरिया

*१४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में इस समय फाइलेरिया रोग से कितने व्यक्ति पीड़ित हैं तथा अभी तक इस बीमारी से उन्मूलन हेतु सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

गोरखपुर जिले में इस समय फाइलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बिना सर्वेक्षण के बताना असंभव है । जिले के अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों से प्राप्त आकड़ों से यह ज्ञात होता है कि जनवरी, १९६४ से जून, १९६४ तक इलाज किये गये फाइलेरिया पीड़ित व्यक्तियों की संख्या २४६ थी । उक्त रोग के उन्मूलन हेतु गोरखपुर जिले में अभी कोई योजना नहीं चलायी गयी ।

बरेली में श्री शिवनारायण मेहरोत्रा को विदेशी शराब बेचने का लाइसेन्स

*१५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पी० डी० गोबा ऐण्ड कम्पनी, पार्टनर शिवनारायण मेहरोत्रा के नाम से अंग्रेजी शराब क दो लाइसेन्स बरेली व कानपुर में चल रहे हैं ? यदि हां, तो एक्साइज मैनुअल क विरुद्ध एक ही फर्म को दो F. L. S- के लाइसेन्स क्यों दिये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कानपुर में पी० डी० गोबा एण्ड कम्पनी पार्टनर श्री शिवनारायण मेहरोत्रा के नाम से अंग्रेजी शराब बेचने का कोई लाइसेन्स नहीं है बल्कि सर्वश्री शिवनारायण, बिशुन नारायण मेहरोत्रा के नाम से तीन लाइसेन्स हैं जिनमें से दो एफ० एल० ५ के हैं और एक एफ० एल० २ का है ।

उपरोक्त फर्म का मालरोड स्थित एफ० एल० ५ का एक लाइसेन्स १९४८ के पहले से और मद्यनिषेध के समय में भी था तथा बाकी दो लाइसेन्स जो कि मद्यनिषेध लागू होने से पहले मौजूद थे मद्यनिषेध समाप्त होने पर पुनर्जीवित हो गये ।

बरेली में एक एफ० एल० ५ का लाइसेन्स श्री शिवनारायण मेहरोत्रा के नाम से है । एक्साइज मैनुअल में ऐसा कोई समादिष्ट उपबंध (Mandatory Provision) नहीं है जिसके अधीन एक ही नाम से एक से अधिक एफ० एल० ५ लाइसेन्स देना एक्साइज मैनुअल के विरुद्ध समझा जाय ।

*१६—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त फर्म कानपुर की है ? यदि हां, तो बरेली में उसे शराब का लाइसेन्स क्यों दिया गया जबकि नियमानुसार स्थानीय व्यक्ति को ही लाइसेन्स मिलना चाहिये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। एक्साइज मैनुअल में ऐसा कोई समादिष्ट उपबंध (Mandatory Provision) नहीं है जो स्थानीय व्यक्ति को ही लाइसेन्स दिये जाने पर बाध्य करता हो। बरेली के एफ० एल० ५ लाइसेन्स के लिये जिलाधीश, बरेली ने आवेदन पत्र मांगे थे जिसके फलस्वरूप दस आवेदकों ने आवेदन पत्र भेजे थे। जिलाधीश, बरली ने चार आवदकों को उपयुक्त समझा परन्तु सबसे अधिक उपयुक्त उन्होंने श्री शिवनारायण महरोत्रा को समझा और इसी आधार पर अपनी सिफारिश आबकारी आयुक्त को भेज दी। फलस्वरूप आबकारी आयुक्त ने श्री शिवनारायण को लाइसेन्स दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

विकास, खण्ड रामनगर में गबन

*१७—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत विकास खंड, रामनगर में कितनी धनराशि का किन-किन लोगों द्वारा गबन किया गया है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सुचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३८० पर)

गोरखपुर जिले में चेचक उन्मूलन योजना

*१८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा, बृजमनगंज तथा धानी ब्लाकों में अलग-अलग चेचक से एक वर्ष के भीतर कितन व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इन ब्लाकों से चेचक से किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

*१९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ब्लाकों के धानी, कोईलाडांड़, कानापार, चौका सोनोरा, बलुआ, ठाकुरनगर आदि ग्रामों में चेचक उन्मूलन योजना पूर्णरूपेण लागू हो गई थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। इन ग्रामों में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना जुलाई १, १९६३ ई० से पूर्णरूपेण लागू हो गयी थी।

*२०-२१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

*२२-२४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

सोरों विकास खण्ड के ए० डी० ओ० के खिलाफ शिकायत

*२५—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोरों विकास खंड, जिला एटा में अप्रैल, सन् १९६४ में एक बी० डी० सी० की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक प्रधान ने ए० डी० ओ० एग्रीकल्चर पर १५० रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और उसने इस बात को माना भी था और यह तय हुआ कि रुपया मंदिर में रख दिया जायगा किन्तु आज तक उसका रुपया न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

अप्रैल, १९६४ में होने वाली क्षेत्रीय समिति, सोरों की बैठक में किसी प्रधान ने सहायक विकास अधिकारी (कृषि) पर १५० रुपया रिश्वत लेने का आरोप नहीं लगाया था। अतः सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के रुपया लेने की बात को स्वीकार करने, एवं रुपया मन्दिर में रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२६—श्री बेदराम—

क्या यह भी सही है कि बी० डी० ओ० महोदय ने इन्हीं ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) का स्थानान्तरण आदेश पार्टीबन्दी के कारण तीसरी बार रद्द कराया है जिससे वह इन्हें पैसा पैदा करके देता रहे ?

श्री राममूर्ति—

यह सत्य नहीं है कि बी० डी० ओ० महोदय ने इन्हीं ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) का स्थानान्तरण आदेश पार्टीबन्दी के कारण तीसरी बार रद्द कराया जिससे कि वह उन्हें पैसा पैदा कर के देता रहे ।

[१९ अगस्त, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विकास खण्ड, अकबरपुर में समितियां

*१—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खंड विकास क्षेत्र, अकबरपुर (फैजाबाद) के अन्तर्गत कौन-कौन सी कमेटियां बनी हैं ?

श्री राममूर्ति—

उक्त विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित समितियां बनी हैं :—

१—कार्यकारिणी समिति ।

२—उत्पादन समिति ।

३—कल्याण समिति ।

*२—श्रीमती रामरती—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक कमेटी में कुल कितने-कितने सदस्य हैं ?

श्री राममूर्ति—

प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है :—

१—कार्यकारिणी समिति में २६ सदस्य हैं ।

२—उत्पादन समिति में २४ सदस्य हैं ।

३—कल्याण समिति में २५ सदस्य हैं ।

*३–५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[५ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गोंडा जिले में परिवार नियोजन केन्द्र

*६—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं और किन-किन स्थानों पर परिवार नियोजन अधिकारियों के रहने की क्या व्यवस्था है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

निम्नलिखित १५ परिवार नियोजन केन्द्र गोंडा में स्थापित हैं :

१—इटिया ठोक, २—हथरीगढ़ (मसलनिया), ३—मानकपुर, ४—तराबगडा, ५—उतरौली, ६—बलरामपुर, ७—भमरी, ८—कटराबाजार, ९—हरईया (संतगढ़वा), १०—नवाबगंज, ११—बभनगोट (थोरीगाट), १२—पारसपुर, १३—छनियापुर, १४—बेलसार, १५—रेहरा बाजार परिवार नियोजन कार्यकर्त्ता अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करते हैं । इन केन्द्रों पर कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता परन्तु सामाजिक कार्यकर्त्ता कार्य करते हैं ।

श्री गंगाप्रसाद—

माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह सूचना सदन में कब तक आ जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कोशिश यही होगी कि जितनी जल्दी वह सूचना आ जाय सदन में रख दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न ४ जुलाई को सदन में भेजा गया था । मैं समझता हूं कि इतना समय नहीं लगना चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अगली बार इसे रख देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये ।

*७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

ग्राम सभा, पवसरा के प्रधान के विरुद्ध जांच

*८—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर की ग्राम सभा, पवसरा के प्रधान के विरुद्ध गत डेढ़ वर्ष में भ्रष्टाचार तथा गबन के संबंध में कोई जांच सरकार द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । जांच के परिणाम स्वरूप ग्राम सभा, पवसरा के प्रधान के विरुद्ध गबन तथा गांव के कुएं के लिये खरीदी गई ईंटों के दुरुपयोग संबंधी तथ्य प्रकाश में आये । प्राप्त तथ्यों के आधार पर मामला नियमानुसार परगनाधीश, बुलन्दशहर को सौंप दिया गया था, परन्तु उन्होंने गबन के आरोप से प्रधान को बरी कर दिया और ईंटों के दुरुपयोग के संबंध में किसी टेक्नीकल व्यक्ति से जांच कराने के आदेश दिये, जिसकी जांच करवाई जा रही है ।

*९—श्री नाथूराम शिक्षक (अनुपस्थित)—

[५ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

ग्रामीण जन शक्ति उपयोग योजना

*१०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत कुल कितने ब्लाक किस-किस जिले के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हुये हैं और प्रदेश सरकार ने कितनों की लिस्ट भेजी थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

राज्य से ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रत्येक चरण में ली जाने वाली योजना का ब्लाक चार तथा जिलेवार विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजा जाता है परन्तु केन्द्र प्रत्येक चरण में स्वीकृत ब्लाकों की संख्या सूचित कर देता है, तदुपरांत राज्य सरकार इस स्वीकृत संख्या का जिलेवार चुनाव करके उनका कार्य-क्रम स्वीकृत करती है । केन्द्र द्वारा प्रत्येक चरण में स्वीकृत ब्लाक तथा प्रांत द्वारा प्रत्येक चरण में प्रस्तावित किये गये ब्लाकों का विवरण नीचे दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा जिलों को बांटे गये ब्लाकों का चरण वार विवरण परिशिष्ट (अ) में संलग्न है ।

चरण	केन्द्र द्वारा स्वीकृत ब्लाकों की संख्या	प्रान्त द्वारा प्रस्तावित ब्लाकों की संख्या
प्रथम चरण	१	१
द्वितीय चरण	२१	२१
तृतीय चरण	११२	११२
चतुर्थ चरण	३५	१४६

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३८१–३८२ पर)

*११—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने-कितने रुपए का प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को जनशक्ति उपयोग योजना के लिए प्रान्त से किस-किस वर्ष के लिए गया था तथा उसमें से उसकी स्वीकृति का विवरण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना नीचे दी हुई है :

वर्ष			कितने रुपए का प्राक्कलन भेजा गया	कितने रुपए की स्वीकृति दी गई
१९६१–६२	..	..	७ लाख रुपए	७ लाख रुपए
१९६२–६३	..	..	५५.९७२ रुपए	५५.९७२ रुपए
१९६३–६४	..	..	७०५.४८ रुपए	७०५.४८ रुपए

श्री कल्पनाथसिंह—

प्रश्न संख्या ११ के संदर्भ में १९६१–६२ में ७ करोड़ की जगह १ करोड़ रुपया खर्च हुआ और १९६२–६३ में ५५ लाख ९७ हजार की जगह पर २० लाख रुपया खर्च हुआ तो यह जो प्रगति दिखाई गई है इस पर योजना आयोग ने क्या राय दी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं इस सदन में कई बार बतला चुका हूं कि सरकार की यह कोशिश रही है कि जितना रुपया पिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए स्वीकृत हुआ है वह खर्च किया जाय, लेकिन प्राविधिक कमियों की वजह से खर्च नहीं कर पाती है। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ है और उसकी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति करके जो यह कार्य-क्रम है इसे पूरा किया जाय।

श्री कल्पनाथसिंह—

१९६१-६२ और १९६२-६३ के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध है और प्राविधिक कठिनाइयों से पिछड़े हुए इलाकों में पूरा रुपया खर्च नहीं हो सका तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा स्कीम को सफल बनाने के लिए कौन से उपाय सरकार ने अब तक सोचे हैं ताकि जो रुपया इस प्रदेश में है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके ?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, जो कार्य हमारे प्रदेश में जनशक्ति द्वारा किए जाते हैं वे बड़े उपयोगी हैं और इसलिए भी हैं कि यह रुपया प्लान के बाहर मिलता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रुपए का उपयोग किया जाय और माननीय सदस्य देखेंगे कि १९६२–६३ में २० लाख ३५ हजार के खिलाफ १८ लाख ९८ हजार रुपया खर्च हुआ है यानी काफी रुपया खर्च हुआ है। इसकी वजह यह है कि हमारे लिए इंजीनियर्स बहुत कम मिलते हैं। जिस मात्रा में हम चाहते हैं उतने मिलते नहीं हैं और ओवरसियर्स भी नहीं मिलते हैं। इरीगेशन और पी० डब्ल्यू० डी० विभाग कहते हैं कि जब हमारे पास ही पर्सोनेल नहीं हैं तो कहां से दें ? इसलिए हमको ये लोग मिल नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम कराया जा सके कराया जाय क्योंकि यह बड़ी उपयोगी योजना है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, यह जो १८ लाख ९८ हजार रुपया खर्च किया गया है वह बजट के अनुसार ५५ लाख ९७ हजार रुपए के खिलाफ खर्च किया गया है न कि २० लाख ३५ हजार रुपए के खिलाफ तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना कम रुपया खर्च करने का क्या कारण है?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, ५५ लाख ९७ हजार उन योजनाओं पर है जो स्वीकृत हुई। लेकिन जो योजनायें स्वीकृत होती हैं वर्ष के अन्त में हम उनको फेजेज में बांटते हैं। उसके खिलाफ १८ लाख ९८ हजार रुपया खर्च हुआ है। अगर कोई योजना पूरी नहीं होती तो पहले चरण से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में चली जाती है। इसलिए यह बात हो गई है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, आपका कहना है कि पहले चरण से दूसरे चरण में योजनायें पूरी न होने की वजह से चली जाती हैं। एक प्रोजेक्ट पहले चरण में तैयार न हो तो दूसरे में किया जा सकेगा। यह तो मानने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि पैसे का खर्चा कैसे कम हो जाता है? मन्त्री जी इस मामले की छानबीन करें और क्या वे इस रुपए का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करने पर विचार करने की कृपा करेंगे और प्राविधिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जैसा उन्होंने कहा सरकार का ध्यान इस पर है कि प्राविधिक कठिनाइयों को दूर किया जाय। इसका कारण यह भी है कि पूरा कार्य-क्रम ठेके से नहीं होता। ग्रामीण जनशक्ति की योजना के अन्तर्गत ग्राम सभायें इनको करती हैं। कहीं-कहीं ग्राम सभायें इनको लेना नहीं चाहती हैं। यही नहीं है कि केवल प्राविधिक स्टाफ का अभाव है। सरकार की पूरी चेष्टा है कि वह प्राविधिक स्टाफ नियुक्त करे और ग्राम सभाओं को भी....

श्री अध्यक्ष—

उनका सवाल कुछ और है। लेकिन अब समय भी समाप्त हो गया।

*१२-१४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

*१५-१६—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

*१७-१८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

*१९-२०—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलीगढ़ व बुलन्दशहर में अनुसूचित जातीय प्रशिक्षार्थी

*२१—श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई०, अलीगढ़ व बुलन्दशहर में सन् १९६२ से १९६४ तक कितने ट्रेनीज की भर्ती की गई जिसमें कितने-कितने शेड्यूल्ड कास्ट ट्रेनीज किस-किस ट्रेड में लिए गए ? अगर नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

१९६२ से १९६४ तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलीगढ़ व बुलन्दशहर में भर्ती किए गए प्रशिक्षार्थी तथा उनमें से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। निर्धारित संख्या में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थी भर्ती नहीं किए जा सके, इसका कारण यह था कि पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने भर्ती के लिए आवेदन पत्र नहीं दिए।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३८३–३८४ पर।

*२२—श्री भूपसिंह—

शेड्यूल्ड कास्टट्रेनीज को सन् १९६२–६३ व १९६३–६४ में कितना-कितना रुपया कितने-कितने महीने का दे दिया गया तथा कितना रुपया बाकी है ? अगर बाकी है, तो क्या उसको देने की कोई उचित व्यवस्था की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

वित्तीय वर्ष १९६२–६३ व १९६३–६४ में अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षार्थियों को छात्र-वृत्ति देने का ब्योरा इस प्रकार है—

(१) सत्रारम्भ फरवरी, १९६२ से सब प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। जिसकी धनराशि १४,१३० रु० २६ पै० है।

(२) सत्रारम्भ नवम्बर, १९६२ में ११ प्रशिक्षार्थियों के अतिरिक्त सब प्रशिक्षार्थियों को निर्धारित समय पर पूरी छात्रवृत्ति दी जा चुकी हैं, इन ११ प्रशिक्षार्थियों में से १० को ४ माह की छात्रवृत्ति नहीं दी जा चुकी है, और शेष एक प्रशिक्षार्थी को केवल एक माह की छात्रवृत्ति बाकी है। इन व्यक्तियों का छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था शीघ्र ही की जा रही है। जिसकी धनराशि ८७७ रु० ५० पै० है।

(३) सत्रारम्भ अगस्त, १९६३ में समस्त प्रशिक्षार्थियों को निर्धारित समय की धनराशि दी जा चुकी है। जिसका योग १,७०९ रु० २६ पै० (अलीगढ़) एवं ७८८ रु० ७३ पै० (बुलन्दशहर) कुल १३,३६३ रु० ४६ पै० छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा चुका है।

*२३—२४—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

*२५–२६—श्री उग्रसेन—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिए गए।]

कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान

*२७—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने ऐसे आदेश जारी किए हैं कि विकास खंडों से किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले कृषि यन्त्रों पर केवल उन्हीं किसानों को ३३ प्रतिशत की छूट दी जायेगी जो १०० रुपए या उससे अधिक के यन्त्र खरीदेंगे जबकि पहले ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

श्री राममूर्ति—

आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक १०-४-१९६४ ई० द्वारा १०० रुपए या उससे अधिक कीमत के कृषि यन्त्रों पर किसानों को ३३ प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया था, किन्तु आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, के आदेश दिनांक १५-७-१९६४ ई० के अनुसार २० रुपए से ४०० रुपए तक के कृषि यन्त्रों पर व्यक्ति को २० प्रतिशत तथा संस्थाओं को ३३ १/३ प्रतिशत अनुदान दिया जा सकता है। १०० रुपए या उससे अधिक कीमत वाले कृषि यन्त्रों पर ही अनुदान देने का प्राविधान इस उद्देश्य से रक्खा गया था कि कम कीमत वाले कृषि यन्त्र तो काश्तकार आसानी से खरीद सकते हैं। और ऐसे कृषि यन्त्रों पर अनुदान देना उतना आवश्यक नहीं समझा गया जितना उससे अधिक कीमत वाले कृषि यन्त्रों पर जो खरीदना काश्तकारों के लिए कठिन होता है और इसी विचार से उपरोक्त प्रतिबन्ध लगाया गया था।

*२८-२९—श्री भीखालाल—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

*३०-३१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

*३२—श्री ऊदल—

[५व बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

टी० बी० क्लीनिक, शाहजहांपुर

*३३—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर में जो० टी० बी० क्लीनिक बनी है उसमें दिनांक १ जनवरी, १९६४ से लेकर दिनांक ३० जून, १९६४ तक कितने आदमियों को दवा दी गई है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

टी० बी० क्लीनिक, शाहजहांपुर में जनवरी १, १९६४ से जून ३०, १९६४ तक २,५६२ रोगियों को दवा दी गई।

*३४—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए वहां ४० मरीजों के दाखिले का इन्तजाम करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

टियूलिया ग्राम में चिकित्सालय की आवश्यकता

*३५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला परिषद् बरेली द्वारा पारित जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बरेली ने ग्राम टियूलिया, ब्लाक फतेहगंज, पश्चिमी बरेली में एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव १९६३ के प्रारम्भ में उसे भेजा है? यदि हां, तो एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी वहां चिकित्सालय न खोलने का क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। पिछले वित्तीय वर्ष में जिस समय स्थानों का चुनाव किया गया उस समय तक, उक्त ग्राम के सिलसिले में आवश्यक जांच पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सका। इस वर्ष विचार किया जायगा।

*३६–३७—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

*३८–३९—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिए गए।]

*४०–४१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किए गए।]

अतारांकित प्रश्न

सदर अस्पताल, गोरखपुर में तिब्बती बच्चों का इलाज

१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला अस्पताल में कितने तिब्बती बच्चे किस रोग में जून के दूसरे सप्ताह के अन्त में भर्ती किए गए?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१३ जून, १९६४ को गोरखपुर सदर चिकित्सालय में १७ तिब्बती बच्चे भर्ती किए गए जो एनीमिया, डायरिया, ओडिमा, डीहाईड्रेशन, मैलन्यूट्रिशन, डीसेन्ट्री, वौमईन्फेक्शन तथा प्लूरिसी रोग से पीड़ित थे।

२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितने जिन्दा हैं तथा कितने मर गए तथा वे भर्ती होने के कितने दिन बाद किस बीमारी में मरे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१७ में से १० जीवित रहे और ७ मर गए। शेष सूचना इस प्रकार है :

क्रम-सं०	प्रवेश तिथि	मृत्यु तिथि	रोग जिससे मृत्यु हुई
१	१३-६-६४ ..	२३-६-६४ ..	तेज एनीमिया और एनासारका
२	१३-६-६४ ..	६-७-६४ ..	डीसेन्ट्री और एनीमिया
३	१३-६-६४ ..	१६-६-६४ ..	डायरिया और मैलन्यूट्रिशन
४	१३-६-६४ ..	१९-६-६४ ..	डायरिया और डीहाईड्रेशन
५	१३-६-६४ ..	१९-६-६४ ..	तेज एनीमिया और मैलन्यूट्रिशन
६	१३-६-६४ ..	२०-६-६४ ..	डायरिया और मैलन्यूट्रिशन
७	१३-६-६४ ..	२२-६-६४ ..	डायरिया और मैलन्यूट्रिशन

पडरौना चीनी मिल यूनियन

३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पडरौना चीनी मिल देवरिया में कौन-कौन से मजदुर संगठन कार्य कर रहे हैं और उनकी सदस्य संख्या अलग-अलग क्या है ?

श्री बनारसीदास—

पडरौना, जिला देवरिया में कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, पडरौना नामक चीनी मिल है उसमें तीन यूनियनें हैं जिनके नाम व सदस्य संख्या इस प्रकार हैं :

रजिस्टर्ड यूनियन का नाम	सदस्य संख्या (१९६२-६३ वर्ष यूनियनों द्वारा भेजे गये ब्योरों के आधार पर)
१—पडरौना चीनी मिल मजदूर संघ, पडरौना	५०९
२—राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर संघ, पडरौना	६२५
३—भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ, पडरौना	२१२

बाराबंकी जिले में मिडवाइफ

४—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में किन-किन सेंटरों पर कौन-कौन मिडवाइफ कब-कब से काम कर रही हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८५ पर)

५--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या सरकार ऐसी मिडवाइफों के ट्रांसफर जिनको कार्य करते हुए एक ही स्थान पर पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं, न करने का कारण बतायेगी और यह बतायेगी कि सरकार उनके ट्रांसफर कब तक करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

साधारणतया मिडवाइफों का ट्रांसफर उनकी प्रार्थना पर, उनके विरुद्ध शिकायत पर अथवा किसी शासकीय आवश्यकता पर ही किया जाता है। ऐसी केवल ४ मिडवाइफें हैं जिन्हें एक ही स्थान पर कार्य करते पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं और जिन्हें स्थानान्तरण करने की आवश्यकता शासन को अब तक महसूस नहीं हुई है। यदि भविष्य में कोई आवश्यकता हुई तो इनमें से किसी एक के या सबके स्थानान्तरण पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली

६--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सहकारी विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली अपना ली है और कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त करने के ५८ साल के नियम को लागू कर दिया है ?

श्री बरारसीदास--

उत्तर प्रदेश विभाग के सरकारी कर्मचारियों पर सेवा नियमावली सरकार के आदेशानुसार लागू है और सरकारी कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त करने की ५८ साल के नियम का पालन दिनांक १ जनवरी, १९६४ से किया जा रहा है ।

७--श्री गिरजाप्रसाद--

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया]

नन्दपुर ग्राम के निकट पुलिया की आवश्यकता

८--श्री रतीपाल--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत ग्राम नन्दपुर, मो० अमरी, पो० ओ० दिबियापुर में से एक प्रार्थना-पत्र ब्लाक भाग्यनगर के बी० डी० ओ० को इस आशय का दिया गया था कि गांव के पास बम्बे पर पुलिया बनवा कर १ मील पटरी पर दिबियापुर तक बैल गाड़ी चलाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं ।

९--श्री रतीपाल--

यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

प्रश्न नहीं उठता ।

१०-१२---श्री रामसुन्दर पांडेय---

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

बियर के बाण्डों की एक्स फैक्टरी कीमत

१३---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजरसिंह ---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, सन् १९६३ ई० में उत्तर प्रदेश की बनी हुई बियर की बाजार में एक्स-फैक्टरी क्या कीमत थी और अप्रैल, सन् १९६४ में क्या कीमत थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

उत्तर प्रदेश में निर्मित बियर की एक्स फैक्ट्री कीमतें अप्रैल, सन् १९६३ और अप्रैल, सन् १९६४ को एक ही थी । विभिन्न ब्रांडों की कीमतों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३८६ पर)

निबलेट फार्म, बाराबंकी में काम करने का समय

१४---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) ---

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या असिस्टेंट लेबर इंसपेक्टर, बाराबंकी को मार्च के अंतिम सप्ताह में कोई इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि राजकीय पशुधन कृषि फार्म (निबलेट फार्म) के एक पुराने ट्रक क्लीनर को फावड़ा चलाने का काम करने के लिये मजबूर किया गया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच का क्या परिणमा हुआ ?

श्री बनारसीदास---

जी नहीं, इस आशय की कोई शिकायत श्रम निरीक्षक, बाराबंकी अथवा श्रम विभाग के अन्य किसी अधिकारी को नहीं प्राप्त हुई हैं ।

१५---श्री रियासत हुसैन---

क्या उपरोक्त स्टेट फार्म के श्रमिकों व कर्मचारियों को प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम करने के लिये विवश किया जाता है ?

श्री बनारसीदास---

निबलेट फार्म के कर्मचारी ८ १/२ घंटे कार्य करते हैं जो कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार ही है ।

१६---श्री रियासत हुसैन---

क्या श्रम मंत्री यह जांच करने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशुधन कृषि फार्मों में दैनिक काम के घंटे निश्चित किये गये हैं अथवा नहीं ?

श्री बनारसीदास---

जी हां । निबलेट फार्म में दैनिक कार्य के घंटे निश्चित हैं ।

डाक्टरों के बिना अस्पताल

१७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार १९६४ के प्रथम सत्र के छठें बुधवार के प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में बताने की कृपा करेगी कि ३०३ राजकीय अस्पतालों में जहां कोई डाक्टर नहीं है ऐसे कितने अस्पताल शहरों में हैं और कितने ग्रामीण क्षेत्र में हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

३०३ राजकीय अस्पतालों में से ७ शहरों में और २९६ ग्रामीण क्षेत्र में हैं ।

१८—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार इसी संबंध में यह भी बताने की कृपा करेगी कि उन अस्पतालों में जहां डाक्टर नहीं हैं कार्य कम्पाउन्डर्स द्वारा किस प्रकार से चलाया जा रहा है ? क्या कम्पाउन्डर्स ही मरीजों का इलाज करते हैं ।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं है वहां कम्पाउन्डर साधारण मर्जों की चिकित्सा करते हैं । जिन रोगियों की दशा चिंताजनक होती है उन्हें वे अन्य निकट के अस्पतालों में उचित चिकित्सा हेतु भेज देते हैं । दुर्घटनाग्रस्त अथवा मारपीट के रोगियों को भी अन्य अस्पतालों में भेज दिया जाता है । उनकी चोटों आदि का निरीक्षण कम्पाउन्डर नहीं करते ।

ऊंचा गांव डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होना

१९—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊंचा गांव (जिला बुलन्दशहर) की राजकीय डिस्पेंसरी में कितने समय से कोई डाक्टर नहीं है ? कौन से सन् में यह डिस्पेंसरी स्थापित हुई थी और उस समय से अब तक इसमें कितने समय के लिये कोई डाक्टर रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला बुलन्दशहर की ऊंचा गांव नामक डिस्पेंसरी दिनांक ७ जनवरी, १९६४ से बिना डाक्टर के है । यह डिस्पेंसरी अप्रैल, १९५८ में स्थापित हुई थी । तब से इस में २४ जुलाई, १९६२ से ४ नवम्बर, १९६२ तक और पुनः २२ नवम्बर, १९६२ से ६ जनवरी, १९६४ तक डाक्टर रहा ।

२०-२१—श्री नाथूराम शिक्षक—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

२२-२३—श्री रक्षपालसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

एटा जिले में डाक्टर जमन के खिलाफ शिकायतें

२४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एम० जमन सहावर, जिला एटा के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र मिले और उसमें क्या-क्या मुख्य शिकायतें थीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डा० जमन के विरुद्ध तीन शिकायती पत्र मिले हैं, जिनकी मुख्य शिकायतें निम्नांकित हैं :

१—जो मरीज अस्पताल दवा लेने जाते हैं उनसे दो आने लेते हैं और जो आदमी नहीं देता उसको भला-बुरा कह कर अस्पताल से निकाल दिया जाता है ।

२—डाक्टर साहब इन्जेक्शन के कम से कम दो रुपये लेते हैं । जो मरीज नहीं दे पाता उससे बाजार से दवा लाने को कह देते हैं ।

३—मरीजों को अस्पताल में भरती करने के लिये ५ रुपये फीस लेते हैं । फौजदारी आदि मामलों के मुआयनों में १२ रुपये ५० नये पैसे लिये जाते हैं और चोटों को घटा बढ़ा देने के लिये अलग से रुपये तय कर लिये जाते हैं ।

४—डाक्टर साहब का चरित्र भी असंतोषजनक है, जिससे महिलाएं अस्पताल आने से हिचकती हैं ।

५—सुबह १० बजे के पहले डाक्टर साहब अस्पताल नहीं आते ।

२५—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन शिकायतों की किसके द्वारा जांच कराई गई तथा क्या शिकायत कर्त्ताओं से भी बुलाकर पूछा गया ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला और क्या कार्यवाही उनके विरुद्ध की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उक्त शिकायतों की जांच जिला स्वास्थ्य अधिकारी, एटा द्वारा अभी की जा रही है ।

२६-२७—श्री रक्षपालसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

२८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

विकास क्षेत्र, भीतर गांव के अन्तर्गत कुओं के पानी में खराबी

२९—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कानपुर के जिले के विकास क्षेत्र, भीतर गांव के अन्तर्गत ग्राम असधना तथा फतेहपुर जिले के विकास क्षेत्र मुख्यावास खजुहा व टाउन कोड़ा जहानाबाद में आबादी के अन्दर कुओं का मीठा पानी खारी होता जा रहा है जिससे प्रयोग के लिये अनुपयोगी हो रहा है और उक्त संबंधित स्थानों में खराब होने या अन्य किसी विशेष कारणों से एक बीमारी जिसे फील-पांव कहते हैं का तेजी से विस्तार हो रहा है यदि हां, तो क्या सरकार वहां कुओं का अविलम्ब सर्वेक्षण करा कर बतायेगी कि कितने कुओं में से कितनों का पानी खराब हुआ और क्या फील-पांव नामक बीमारी पैदा होने का कारण पानी का ही होना है या अन्य कोई कारण ? कुओं का पानी ठीक करने व बीमारी रोकने का सरकार कब तक प्रयत्न करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, उक्त स्थानों के कुओं का मीठा पानी खारी होता जा रहा है । सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि असधना ग्राम के १५ कुओं में से १३, खजुहा ग्राम के ३७ कुओं में से १८ तथा

कोड़ा जहानाबाद के ४७ कुओं में से ३८ कुओं का पानी खारी हो गया है। वहां फील-पांव के रोगी अवश्य पाए जाते हैं। पर उसका कारण कुओं का खारी पानी नहीं है। यह रोग एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कानपुर तथा फतेहपुर जिलों में फाइलेरिया को रोकने के लिये एक-एक फाइलेरिया नियंत्रण यूनिट खोलने का विचार है।

३०—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

[माननीय सदस्य के सदन-सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी ने एक विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। मैंने कहा था कि आज उसको लूंगा। वह नहीं हैं। यह समाप्त होता है। इसमें कोई तत्व भी नहीं है, मैंने उसको देख लिया है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

दो कामरोको प्रस्ताव आये थे। वे लोग हैं नहीं, इसलिये अस्वीकार होते हैं वैसे वास्तविक तत्व भी नहीं हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ की जितनी सूचनाएं आयी है मैंने उसको देख लिया है। इनमें से जो खाद्य समस्या से संबंधित हैं, वह मैं माननीय खाद्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा, जिनपर वक्तव्य वह आगामी सोमवार को देंगे। शेष अस्वीकार हैं।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ के लिये समय निर्धारण की सूचना के संबंध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना मैं दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी १७ अगस्त, १९६४ की बैठक में यह निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसके पारण के लिये दो दिन का समय निर्धारित किया जाय।"

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी १७ अगस्त, १९६४ की बैठक के निश्चय से कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन), विधेयक, १९६४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसके पारण के लिये दो दिन का समय निर्धारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अपनी १७ अगस्त, १९६४ की बैठक में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसके पारण के लिये निर्धारित समय से अपनी सहमति प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

देहरादून एक्सप्रेस में हुई डकैती के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना माननीय ब्रह्मदत्त मायर और माननीय भीखालाल द्वारा दी गयी थी और वे उपस्थित नहीं हैं तो नियमानुसार इसे लेना नहीं चाहिये, था लेकिन मैं समझता हूं कि यह ऐसा विषय है जिसके संबंध में सदन किंचित जानना चाहें, अतः गृह मंत्री अपना वक्तव्य दे दें।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

श्रीमन्, श्री रतन चन्द्र अरोरा, उप सचिव के पत्र संख्या ७१३१ डी–८–ख–१ दिनांक अगस्त शून्य, १९६४ के संदर्भ में एतद्‌र्थ ३ घटनायें हैं—१—दिनांक १०–४–६४ की रात्रि को १० डाउन देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस का इंजन ७ डिब्बों सहित रेलवे स्टेशन बुन्दकी तथा नगीना के मध्य, किलोमीटर नं० १४७८.१० पर रेलवे लाइन से उत्तर दिशा की ओर पटरी से उतर गया। इस दुर्घटना में एक फायरमैन एवं २ यात्रियों को साधारण चोटें भी आयी। दुर्घटना स्थल के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि उक्त स्थान पर लाइन से दोनों ओर की फिश प्लेट निकाल दी गयी थी।

२—५६–६–६४ की रात्रि में देहरादून-हावड़ा १० डाउन एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेन्ट में ४ व्यक्तियों ने स्योहरा एवं बगवारा स्टेशनों के बीच घुसने का प्रयत्न किया। ये अभियुक्त स्योहरा स्टेशन पर उक्त फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेन्ट के गलियारे में चढ़ गये थे। फर्स्ट क्लास कोच अटेन्डेन्ट, श्री अम्बिकाप्रसाद शुक्ला के मना करने पर एक ने उन्हें देशी पिस्तौल के फायर से पैर में घायल कर दिया और अभियुक्तगण बगवारा स्टेशन के पास चलती गाड़ी से जंजीर खींच कर गाड़ी रुकने पर उतर गये।

३—१–८–६४ को एक बजकर ४९ मिनट पर रात्रि में ६२ डाउन साप्ताहिक एक्सप्रेस को बगवारा स्टेशन के पास जंजीर खींच कर रोका गया। ६–७ व्यक्तियों ने जो देसी पिस्तौल, छुरे एवं हाकी स्टिक लिये थे और संभवतः उसी डिब्बे में थे, ३ यात्रियों का सामान दो अटैची एवं २ बक्स छीन लिया। सामान छीनते समय श्री जगदीशस्वरूप रस्तोगी लखनऊ निवासी को प्रतिरोध करने पर उन्हें चोटें पहुंचा कर गाड़ी से उतर गये।

घटना नं० १ का अनुसन्धान गुप्तचर विभाग (सी० आई० डी०) क्राइम ब्रान्च द्वारा हो रहा है। घटना २ एवं ३ का अनुसन्धान थानाध्यक्ष जी० आर० पी०, लक्सर कर रहे हैं। अनुसन्धान में कुछ ऐसे सूत्र भी प्राप्त किये जा चुके हैं जिससे आशा है कि अभियुक्त शीघ्र ही पकड़े जा सकेंगे। अभियुक्तों को पकड़ने के लिये अनुभाग अधिकारी सरकार रेलवे पुलिस ब मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर एवं पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के संयुक्त प्रयत्न हो रहे हैं।

दिनांक १–८–१९६४ से सेक्शन आफीसर जी० आर० पी०, मुरादाबाद ने रात्रि की प्रत्येक सवारी गाड़ी पर रायफल सहित सिपाहियों के गश्त का प्रबन्ध किया है जो गाड़ियों में चलते हैं और गाड़ी के ठहरने के प्रत्येक स्थानों पर उतर कर देखभाल करते हैं।

यह प्रबन्ध पुलिस के सामान्य (usual) प्रबन्ध के अतिरिक्त है। रात्रि के समय स्टेशनों पर भी जी० आर० पी० द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है।

सहायक महा निरीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश के इंगित करने के फलस्वरुप रेल की पटरी की सुरक्षा के लिये रेलवे पी० डब्लू० आई० गैंग के कर्मचारियों द्वारा रात्रि में पटरी की गश्त भी लगाई गई है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४†

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४‡

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, हम एक छोटा-सा यह नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, लाए हैं और एक बड़ा विधेयक बाद में लाने का विचार है। इस छोटे विधेयक को जल्दी लाने का कारण यह है कि सदन की कुछ ऐसी आज्ञा थी, डिफिकल्टी रिमूवल ऐक्ट में हमने कुछ ऐसा देखा था, कुछ ऐसे प्राविधान थे जिनका इसमें आना जरूरी था, क्योंकि उस ऐक्ट की मियाद ३० सितम्बर, १९६४ को समाप्त होने जा रही थी। इस वजह से उन प्राविजन्स को रखने के खयाल से इसको लाना जरूरी था।

दूसरी बात यह है कि नगरमहापालिका ऐक्ट की धारा ३१ में यह प्राविधान था कि हमारी नगर महापालिकाओं में जो बोर्ड बनेंगे वे आखिरी मर्दुमशुमारी के अनुसार जो आबादी होगी उसके अनुसार बोर्ड बनेंगे। सन् १९६० में यह नगर महापालिका ऐक्ट पास हुआ था। उसके अनुसार आबादी को बोर्ड में तब्दील करना होगा। बहुत सी जगह आबादी की जनगणना के अनुसार कुछ बढ़ोत्तरी हुई है। अब आगामी चुनाव जो दिसम्बर, जनवरी में होने वाले हैं तब तक वह नहीं हो सकता था तो हमने यह प्राविधान किया है कि फार्मल वार्ड बना लिये जायं और जो बढ़ोत्तरी सारे शहर में हुई है उसी अनुपात से उन मुहल्लों के वार्ड में वह बढ़ोत्तरी मान ली जाय। इससे यह होगा कि चुनाव हम जल्दी करा सकेंगे वरना चुनाव कराने में देर होगी। इसमें जो प्राविधान किया गया है

---

†छापा नहीं गया।

‡१७ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

वह निर्विवाद है। हमने उसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं रखी है। उसमें खासतौर पर यह रखा है कि जो सर्विसेज हैं नगर महापालिका की उनका हम केन्द्रीयकरण कर दें और नगरपालिका में भी हम यह प्राविजन करने जा रहे हैं।

एक और चीज यह है कि कुछ सर्विसेज को हम एसेंशियल कर दें। एक बात यह है कि उप नगर प्रमुख को हम कुछ और सहूलियतें दें जो प्रमुख नगर को हासिल थीं। एक और प्राविधान यह किया है कि नगर महापालिका के सदस्यों को भत्ता वगैरा की मांग थी, तो वह हम नहीं दे सकते। लेकिन यह किया है कि उनको कन्वेयन्स एलाउन्स देने का प्राविधान इसमें किया गया है। नगर प्रमुख की पावर्स बढ़ाने का प्राविधान भी इसमें है। इसमें अधिक विवाद की गुंजायश नहीं है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करे। अगर चुनाव अक्तूबर में नवम्बर में होते हैं तो इसको प्रवर समिति में भेजना उचित न होगा। उसमें अधिक समय लग सकता है और इसके अतिरिक्त इसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिस पर यहां सदन में विचार न हो सकता हो। मुझे आशा है कि सदन मेरा प्रस्ताव स्वीकृत करेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें एक संशोधन है श्री विश्वनाथ प्रसाद तथा श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी का कि इस विधेयक को सदन की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन दो मास में प्रस्तुत कर दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

हम भी इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप चाहें तो इस संशोधन को आप अपना सकते हैं। मैं उसकी इजाजत दे दूंगा। अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप अपनी बात कहें।

श्री मुरलीधर कुरील—

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। पिछली बार जब यह विधेयक पारित हुआ था उस समय भी स्थिति आज जैसी ही थी इसलिये इस पर भलीभांति विचार किया जाना चाहिये ताकि आगे इसमें कोई खामी न रहने पायें। कानपुर नगरमहापालिका में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कि जिनका समुचित समाधान वहां की नगरमहापालिका नहीं कर पायी है। वहां बहुत से नये गांव महापालिका की सीमा में शामिल कर लिये गये हैं और उनकी जमीन के मुआवजे के संबंध में झगड़ा है। महापालिका का कहना यह है कि हम पुराने नियमों के अनुसार ही मुआवजा देंगे जब कि बाजार के रेट आज काफी बढ़ गये हैं और जो लोग प्राइवेट तौर पर जमीन खरीदते हैं वह रेट काफी ज्यादा होते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी है कि नगरमहापालिकाएं अपनी जमीनें उन्हीं पुराने रेटों पर बेंचे, तब तो बात समझ में आती है कि हां ठीक है किसानों की जमीन पुराने रेट पर ले लें। लेकिन जब अपनी जमीन नगरमहापालिकायें कई गुना ज्यादा दाम पर बेचती हैं तो इस पर हमें आपत्ति होती है।

श्री अध्यक्ष—

संशोधन विधेयक में तो ऐसा है नहीं ?

श्री मुरलीधर कुरील—

इस बात के साथ इस पर भी विचार किया जाय कि जो बातें इस बिल में आने से रह गई हैं, उन पर भी विचार किया जाय। इसलिये मैं कह रहा था कि जो पिछले दिनों जमीनें बेची गई हैं वह प्रायः १०० रु० प्रति गज के हिसाब से अधिक पर बेची गई हैं और जब कि किसानों से जमीन लिये जाने वाला रेट मुश्किल से दो आना चार आना पड़ता है। इस संबंध में मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार सोचे और कोई बीच का रेट तय करे जिससे किसानों का नुकसान न हो। पिछले दिनों मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि गाजियाबाद के संबंध में सरकार की तरफ से एक वक्तव्य हुआ था, जिसमें जमीनों को २–३ हिस्सों में बांटा गया है। जहां पर मुख्य सड़कें गुजरती हैं उसके पास की जमीन, उसके बाद उससे १०० गज दूर की जमीन और फिर उसके बाद उससे भी दूर की जमीन। इनका रेट्स मौजूदा बाजार रेट्स के हिसाब से तय करने की बात उसमें कुछ कही गयी है। मैं समझता हूं कि उसी तरह की कुछ व्यवस्था कानपुर में भी सोची जाय। उसके साथ ही साथ वहां पर प्लाट मकान बनाने हेतु जो नगरमहापालिकाएं बेचती हैं, उसके संबंध में भी कुछ नियम ऐसे बनाये जायें क्योंकि देखा यह जाता है कि कुछ लोग कारखाने के नाम पर कई-कई एकड़ जमीनें पा जाते हैं और वह बहुत ही सस्ते भाव पर पा जाते हैं। लेकिन उस पर कारखाने वर्षों नहीं बन पाते हैं और जमीनें बेकार में खाली पड़ी रहती हैं। इस तरह से वह जमीनें दूसरे उपयोगी कामों में नहीं लग पाती हैं। तो इस तरह से नगरमहापालिकाओं को बड़ा नुकसान होता है और इसके साथ ही साथ जिन लोगों के पास मकान और जमीनें नहीं हैं वह लोग भी अपने निवास के लिये जमीनें पाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को नगरमहापालिकाएं उस जमीन के प्लाट बनाकर उन्हें दे सकती हैं। जो व्यक्ति कारखाने के नाम पर जमीन ले लेते हैं। वह धीरे-धीरे लाखों रुपये की संपत्ति कौड़ियों में बना लेते हैं।

इसके साथ ही साथ नगर महापालिका में जो कर्मचारी रखे जाते हैं उसमें देखा यह जाता है कि शेड्यूल कास्ट और पिछड़े हुए लोगों का संरक्षण नहीं हो रहा है जैसा कि अन्य विभागों में होता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस संबंध में भी ध्यान दें, जिससे वहां पर भी संरक्षण की पूर्ति हो सके। इसलिये इस पर विस्तार के साथ विचार किया जाये और जो खामियां हैं, उन पर भी विचार किया जाये।

*श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो यह हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ इस सदन में प्रस्तुत किया है और उसके विरोध में जो संशोधन विश्वनाथप्रसाद जी तथा माधो प्रसाद त्रिपाठी जी ने उसे प्रवर समिति में भेजने के संबंध में रखा है, मैं उस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह आपने बड़ी गलती की क्योंकि वह संशोधन तो आया ही नहीं। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इस पर जो बोलना चाहे तो बोल लें।

श्री रामकिशोर वर्मा—

अच्छा तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं। परसों जो सदन में अव्यवस्था पैदा हो गई थी, वह बड़े ही खेद का विषय है, जिसे विरोधी सदस्यों ने और सरकारी पक्ष के सदस्यों ने भी महसूस किया होगा। आप देखेंगे कि जिस समय भाषा विधेयक बिल इस सदन में पेश हुआ बड़ी ही अभूतपूर्व स्थिति उस समय सदन में पैदा हो गई थी और एक-एक करके सभी विरोधी दल के सदस्यों को सदन से बाहर जाना पड़ा है। यह दुर्भाग्य का विषय है दोनों तरफ से जनतंत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

की बड़ी चर्चा की गयी और सभी ने लोकतंत्र पर आस्था व्यक्त की और सही है कि अगर लोकतंत्र को चलना है तो नियमों का पालन करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे जिस तरफ से ऐसी कमी रही हो, आज मुझे छोड़कर सदन में कोई विरोधी दल का सदस्य नहीं है। यह जो मंत्री जी ने विधेयक, पेश किया है यह एक पूरक अधिनियम है। ४–५ वर्ष पहले हमारी ४ महानगरियां कायम हुई थीं और वहां नगरमहापालिका ऐक्ट लागू हुआ था। ४–५ साल के थोड़े समय के बाद ही एक संशोधन की आवश्यकता आ पड़ी और जैसा मंत्री जी ने स्वतः ही उद्देश्य और कारण में बतलाया है, उनके सामने बहुत सी ऐसी बातें विचारणीय हैं जिनमें और संशोधन करने की आवश्यकता है और उन्होंने चुनाव के पहले थोड़ी बहुत आवश्यकताओं की, जिन्हें वह मुनासिब समझते हैं, उनकी पूर्ति के लिये ऐक्ट म परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। तो मैं चाहूंगा कि जब वह स्वयं यह समझते हैं कि यह अधूरा है तो चाहे इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द करें या यह समझकर कि विरोधी दल उपस्थित नहीं है, उसे स्थगित करें और पुनः इसमें उचित परिवर्द्धन करके सदन में प्रस्तुत करें। हमारे लोकतंत्र की गरिमा और तमाम बातों को देखते हुए उन्हें सदन की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिये, विरोधी दल को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिये और इस अधिनियम को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिये जरूरी है कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। यही मेरी प्रार्थना है।

*श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो यह विधयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है वास्तव में यह ऐसा विधेयक है जिसमें नितांत कमी अभी भी महसूस होती है। अगर इसके उद्देश्य और कारण को माननीय मंत्री जी स्वयं पढ़ें और देखें तो वे स्वयं महसूस करेंगे कि १९५९ में जब उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका संशोधन अधिनियम पास हुआ तो उसके कुछ प्रकरणों को लेकर के आज माननीय मंत्री जी ने चुनाव के लिये आवश्यक समझ कर एक संशोधन उसमें प्रस्तुत कर दिया। मैं इस उसूल को मानने के लिये हरगिज तयार नहीं हूं कि सरकार की जब इच्छा हो उस समय वह कोई विधेयक एक विकल्प को न रखते हुए पेश कर दें। मैं महसूस करता हूं कि आज यह विकल्प उन इच्छाओं के मातहत नहीं है जो आज भी दिखाई देती हैं। इस अधिनियम के संबंध में बहुत से प्रस्ताव विचाराधीन रहे हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गया इसलिये मंत्री जी ने महसूस किया कि चुनाव के अन्दर परिसीमन करना जरूरी है, वार्ड बन जायं और उसके बाद चुनाव २ महीने के अन्दर करा सकें। उसके लिये आपने यह विधेयक ला दिया। लेकिन जो चीजें आपके विचाराधीन हैं उनका क्या होगा? जब तक उनका समावेश इस विधयक में नहीं होता यह विधेयक अच्छा और पूर्ण नहीं कहा जा सकता। माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये और यदि उचित समझें तो इसे प्रवर समिति में ही भेज दें। जैसा वे ठीक समझें करें, मगर उन बातों पर विचार उन्हें अवश्य करना चाहिये। आज एक विशेष परिस्थिति प्रदेश के अन्दर है। विरोधी पक्ष के लोग एक ऐसा वातावरण बनाये हुए हैं कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक को पूर्ण होकर आना चाहिये, वैसे मुझे इस विधेयक का समर्थन तो करना ही है, मगर मैं यह चाहूंगा कि जो बातें रह गयी हैं उनका भी समावेश इसमें हो।

विरोधी पक्ष की भावनायें आज नहीं आ सकती हैं क्योंकि वे यहां नहीं हैं। यदि उनकी भावनाओं को मंत्री जी जानना चाहें तो वे इस विधेयक को इस समय स्थगित भी कर सकते हैं, चाहें तो बहस का टाइम भी बढ़ा सकते हैं। पार्लियामेन्टरी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। बिना विरोधी पार्टों के कोई भी जनतंत्र सफल नहीं हो सकता। अगर आज हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस विधेयक को पास कर देते हैं तो इधर के बैठने वालों पर यह कलंक लगाया जा सकता है कि सरकार ने बिना विरोधी पक्ष की इच्छाओं को जाने हुए इस विधेयक को पास कर दिया। मेरी राय है कि सरकार को इस कलंक को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये और कोई रास्ता निकालना चाहिये ।

जो मुझे और सुझाव देना है वह मैं खण्डों पर विचार के समय दूंगा। इस समय जो मैंने अपने विचार रखे हैं उन पर माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं ।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि अभी माननीय नरसिंह नारायण पाण्डेय जी ने जो बातें कहीं हैं उनकी ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे ।

श्रीमन्, इस विधेयक में जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं वे बड़े मासूम हैं देखने में, मगर कुछ बातों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। कुछ ऐसी सेवायें हैं जिनके बारे में इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत हुए हैं । यह संशोधन २०० रुपये से कम पाने वाले लोगों के बारे में हैं और इससे ऊपर पाने वाले लोगों के बारे में भी है इससे ऊपर पाने वाले लोगों के बारे में कहा गया कि लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुमोदित जो उम्मीदवार होंगे उनमें से महापालिका अपने कर्मचारिवर्ग को नियुक्त करेगी और जो २०० से नीचे पाने वाले लोग हैं उनके बारे में यह कहा गया है कि मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्य करने वालों के लिये मुख्य नगर लेखा परीक्षक को अधिकार होगा । इसी प्रकार महापालिका के इंजीनियरिंग, जलकल, लोक स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों में जो ऐसे पद होंगे उनके बारे में भी यह अधिकार जो उपसमितियां होंगी उनके विभागाध्यक्षों को होगा और कुछ ऐसे पदाधिकारी एवं सेवक होंगे जिनके बारे में मुख्य नगर अधिकारी को उनके अप्वाइंटमेंट का हक होगा । श्रीमन्, यह साफ नहीं है मेरी समझ से और मेरा ऐसा खयाल है कि इसकी सफाई होनी चाहिये कि वह कौन-कौन से पद सृजित किये जायेंगे और उनके बारे में क्या दृष्टि-कोण होगा । २०० रुपये से कम तो नायब तहसीलदार और दरोगा वगैरह भी होते हैं या और दूसरे कर्मचारी होते हैं, उनकी भी नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग की सिफारिश ली जाती है। लेकिन यहां मुख्य नगर अधिकारी, विभागीय अध्यक्षों और लोक लेखा परीक्षक को यह अधिकार दिया जा रहा है । इसके अलावा कुछ सेवाओं का केन्द्रीकरण किया जा रहा है । इनकी क्यों आवश्यकता महसूस हुई, इस पर मंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला, क्योंकि अगर इन सेवकों को एक महापालिका से दूसरी महापालिका को ट्रांसफर करने का सवाल आये या उनकी सीनियारिटी जूनियारिटी का सवाल आये तो किस प्रकार यह सारी बातें तय की जायेंगी । मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर मंत्री जी प्रकाश डालेंगे और अगर कोई गलतफहमी होगी तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे । जहां तक एसेंशियल सर्विसेज का सवाल है जिसके लिये सरकार अधिकार ले रही है और नियमों के अन्तर्गत वह उन सेवाओं को घोषित करेगी, उसके बारे में अवश्य ही यह राय है कि कुछ सेवायें ऐसी हैं कि जो एसेंशियल सर्विसेज घोषित हों, लेकिन जिस प्रकार यह सेवायें कुछ गिना दी गई हैं इस विधेयक में उसी प्रकार जैसे 'क' से 'ङ' तक को गिनाया गया है, वैसे ही चपरासी को भी इसमें गिना दिया गया होता तो शायद सरकार को यह अधिकार सौंपने की आवश्यकता न होती कि वह इसके लिये रूल्स बनाये । मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी इन बातों की ओर ध्यान देती है, लेकिन अगर मंत्री जी को डिपार्टमेंट ने साफ साफ नहीं बताया या मंत्री जी को उसके बारे में शुबहा है तो उसको छोड़ देना चाहिये या निश्चित तौर पर लिख देना चाहिये । लेकिन अगर इस प्रकार से एसेंशियल सर्विसेज के बारे में ऐसा अधिकार ले लिया गया तो आज जो लोग इन कुर्सियों पर बैठे हुये नहीं हैं वे यह इल्जाम लगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्पनाथसिंह]

सकते हैं कि हमारी अदम मौजूदगी में इसको पास कर लिया गया और इसमें ऐसे अधिकारों का संरक्षण कर लिया गया, जो अगर हम वहां होते तो शायद ही होता । हमारे समझाने से या तो सरकार मान जाती या न करती । उनकी अदम मौजूदगी में हमारी जिम्मेदारी अधिक बढ़ी हुई है । इस विशेष परिस्थिति में इस बात की ओर भार साधक मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक संशोधन इसमें दानोत्तर प्रयोजनों के लिये जमीन देने के बारे में है । इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । प्रस्तावित बिल में सरकार ने एक ऐसा प्रतिबंध लगाया है—"प्रतिबंध यह भी है कि पिछले प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक रियायत महापालिका द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से दी जा सकती है" उसका स्पष्टीकरण भी नीचे दिया हुआ है । इसके ऊपर भी एक प्रतिबंध है वह इस प्रकार है —

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शैक्षिक, सांस्कृतिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६१ के अधीन रजिस्टर्ड किसी समिति अथवा परिनियत निगम के लिये भूमि पट्टे पर देने या बेचने की दशा में, पट्टे के संबंध में वार्षिक किराये के मूल्य के आधे से अनधिक अथवा किसी अन्य मामले में कुल बाजार मूल्य के आधे के बराबर की रियायत दी जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की गयी रियायत का कुल मूल्य दस हजार रुपये से अधिक न हो ।"

मैं उम्मीद करता था कि मंत्री जी इस बिल को रखते समय इस बारे में अवश्य कुछ कहेंगे क्योंकि सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि समूचे देश में, जो धारणा बन रही है वह हम सबसे किसी प्रकार भी छिपी नहीं है । मैं समझता हूं १० हजार रुपये की छूट देना उचित नहीं दिखाई पड़ता । मेरा खयाल है इस पर मंत्री जी ने अवश्य विचार किया होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि बाजार भाव किस प्रकार नियत किया जायगा, इसका भी अगर स्पष्टतया उल्लेख इस बिल में होता तो ज्यादा अच्छा होता । बाजार भाव तय करने के कितने मामले अध्यक्ष महोदय, आपके और हमारे सामने आये हैं मुआवजे के सम्बन्ध में । महापालिकाओं ने जो जमीन एक्वायर की है उसके सम्बन्ध में, या सरकार ने जो जमीन एक्वायर की है उसके सम्बन्ध में, या सरकार ने जो जमीन एक्वायर करके दूसरे लोगों को जनहित में दी है, उसके सम्बन्ध में हमेशा इसमें दो मत रहे हैं । मेरा यह निवेदन था कि वहां जहां हम इस बिल से महापालिकाओं को जमीन का यह अधिकार देते हैं, उसमें अगर बाजार भाव नियत करने के लिये कुछ निश्चित फार्मूला दर्शाया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता । मैं, इसलिये यह बात कहना चाहता हूं और अपनी सरकार के मंत्रि परिषद् से यह दरख्वास्त इसलिये कर रहा हूं, कि आज की विशेष परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी कुछ बढ़ी हुई है । इसलिये इस बिल के सम्बन्ध में सरकार का जो दृष्टिकोण है वह स्पष्टतया उसके उत्तर में आना चाहिये ताकि किसी को इसके बारे में कोई भ्रान्ति न रह जाय और हमारे वे माननीय सदस्य जो आज इस कुर्सी पर विराजमान नहीं हैं, अगर इसका स्पष्टीकरण वे कल अखबारों में देख लेंगे या प्रोसीडिंग्स में पढ़ लेंगे तो उनको भी इस बात से सन्तोष हो जायगा कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निश्चय पूर्वक दृढ़ता के साथ निभायी ।

मैं एक निवेदन खास तौर पर यह जरूर करना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उसके बारे में इस बिल में यह कहा गया है कि वह हमारी राज्य सेवा का अधिकारी होगा जो डेपुटेशन पर महापालिका में आयेगा, लेकिन उसकी भी नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुमति से व उसकी स्वीकृति से होगी । यह बात मुझे कुछ अनावश्यक सी प्रतीत होती है । हमारे प्रदेश में वैसे ही डाक्टरों की कमी है और एक डाक्टर जो हमारी सरकार की सेवा मे आ चुका है और हम उसको डेपुटेशन पर भेजते हैं और उस डाक्टर से फिर हम यह कहें कि तुम लोक सेवा आयोग के सामने जाकर बैठो, वहां जाने के बाद जब लोक सेवा आयोग की स्वीकृति हो जायेगी तब महापालिका की सेवा में जाओगे, यह बात कुछ जंचती नहीं है । क्योंकि मान लिया जाय कि अगर वह डाक्टर लोक

सेवा आयोग की दृष्टि में इस काम के लिये उपयुक्त नहीं साबित हुआ कि वह महापालिका में नियुक्त किया जा सके, तो सरकार के सामने पुनः यह गम्भीर प्रश्न उपस्थित हो जायगा कि क्या उस डाक्टर को राज्य की सेवा में रखा जाय ? मैं समझता हूं कि इस वाक्य को कि "लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिये"। इसको निकाल देना चाहिये और जो डाक्टर राज्य की सेवा में आ चुका है हां, यह हो सकता है कि उस को पी० एम० एस० १ के ग्रेड का होना चाहिये, जो कोई डेपुटेशन पर जाय, यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन एक बार जो डाक्टर सरकार की सेवा में आ गया और राज्य सरकार उसको डेपुटेशन पर भेजना उचित समझती है और उसको अगर यह कहा जाय कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने फिर से दोबारा जाय, तो यह कोई उचित बात नहीं होगी । मुझे आशा है कि हमारे इन सुझावों पर सरकार ध्यान देगी । इस के अलावा कुछ ऐसी भी बातें हैं जो महापालिका के अन्तर्गत अब भी संशोधन के रूप में आनी चाहिये लेकिन चूंकि वह संशोधन प्रस्तावित नहीं हुये और ऐसा कोई प्रस्ताव इस बिल की परिधि बढ़ाने के लिये नहीं है इस बिल में उन की बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं मंत्री जी को इतना इशारा अवश्य करना चाहता हूं कि मेरा ऐसा खयाल है कि सरकार को निकट भविष्य में या चुनाव कराने के बाद, अगर चुनाव कराने बहुत आवश्यक हैं, तो जल्द ही, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके दोबारा कुछ संशोधन ले आने चाहिये ।

(इस समय १२ बजकर ५१ मिनट पर, अधिष्ठाता श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुईं ।)

मैं उचित तो यह समझता था कि अगर १–२ मास यह चुनाव टालने के बाद अगर वह संशोधन पहले ही आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि जिस लाइट में हम संशोधन करते उस लाइट में महापालिका को अपने कर्त्तव्य की पूर्ति में सहायता मिलती और वहां जो हमारे सदस्य जाते उन को अपना दृष्टिकोण बनाने में सहायता मिलती और उस रोशनी में कुछ ऐसे लोग भी चुनाव लड़ने की बात सोचते जिनको कि इन संशोधनों से कुछ प्रेरणा मिलती ।

मैं एक बात की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जो हमारे आने वाले प्रस्तावित संशोधन हैं उनमें इस बात की गन्ध जरूर आनी चाहिये कि यह सरकार का समाजवादी दृष्टिकोण है और ऐसे संशोधनों को समाजवाद की परिधि में जितना अधिक से अधिक लाया जा सकता है लाने की चेष्टा करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं आप के द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करें और इसका समर्थन करें ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ का स्वागत करती हूं । यह संशोधन बहुत पहले आने चाहिये थे क्योंकि जब सन् ५९ में महापालिकाओं का संगठन हुआ उसी वक्त यह महसूस किया गया था कि यह जो अधिनियम बना है उसमें बहुत सी खामियां हैं । उसके बाद हर वर्ष नगर प्रमुखों के जो सम्मेलन हुये उन में विभिन्न प्रस्ताव पारित किये गये और उनके द्वारा इस अधिनियम की जो कमजोरियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया.....

श्री रामकिशोर वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, इस समय जो बैठक चल रही है उस में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं कह रही थी कि जब महापालिका अधिनियम बना था उसी समय इसकी कमजोरियां नजर आने लगी थीं और मैं समझती हूं कि जब संशोधित विधेयक आयेगा तो नगर प्रमुखों की सभाओं में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये थे उनका भी समावेश होगा । परन्तु खेद है

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

कि उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और जिस रूप में संशोधन हमारे सामने है उसमें भी बहुत सी कमजोरियां हैं और यह हैबिली वर्डेड भी नहीं है जिससे और कन्फ्यूजन बढ़ गया है । अतः मैं मंत्री जी का कुछ उन तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं जिन पर संशोधन आना चाहिये और इसको पुनः संशोधित रूप में सदन के सामने लायें ।

पहली बात यह है कि इसमें लिखा है कि नगर प्रमुखों और उप नगर प्रमुखों को ऐसे भत्ते या सुविधायें जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित कर दिये जा सकते हैं । अब सवाल यह है कि पहले प्रस्ताव पास होगा और उसको राज्य सरकार अनुमोदित करेगी या पहले से मुख्य नगराधिकारी, सेक्रेटरी या मंत्री को पत्र लिख कर अनुमति लेगा और तब वह प्रस्ताव के रूप में महापालिका के सामने आयेगा ? मैं समझती हूं लोकल बाडीज के अधिकारों का इससे हनन होता है । अगर नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख या सभासदों के भत्ते की बात तय होती है तो महापालिका के प्रस्ताव के बाद वह विषय सरकार के पास आना चाहिये अन्यथा हमारे अधिकारों का हनन होता है ।

महापालिका की कुछ सेवाओं को आवश्यक घोषित किया गया इसका मैं स्वागत करती हूं क्योंकि आये दिन हड़ताल की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे मेहतरों या जलकल विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के समय परेशानी हो जाती है । यह सेवायें आवश्यक हो जाने से इस तरह की परेशानी नहीं हो पायेगी , लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये मेहतर भाई, या जलकल विभाग या परिवहन या रोशनी विभाग के कर्मचारी भी मनुष्य हैं और उनको भी ऐसी आवश्यकतायें हो सकती हैं जिनके कारण उन्हें समय समय पर छुट्टियां लेनी पड़ें । दफा ११२-ग(क) (१) में कहा गया है कि "मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्रधिकृत किसी पदाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना . . ।" इसका मतलब यह है कि अगर कल किसी कर्मचारी को कोई परेशानी हो जाय जिसके लिये आकस्मिक अवकाश लेना पड़ जाय तो वह इससे वंचित हो जाता है जब तक कि वह मुख्य नगराधिकारी से इसकी लिखित आज्ञा न ले ले तब तक वह छुट्टी नहीं ले सकता है । इस पर पुनः विचार करना चाहिये । कम से कम हमें आकस्मिक छुट्टी का आवश्यक सेवाओं के लिये प्राविधान करना चाहिये । इसलिये इसमें ऐसा संशोधन होना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ जहां तक धारा १५२ (क) में अधिभार निश्चय करने की बात कही गयी है यह कन्फ्युजन की बात है । इसमें कहा गया है कि : "महापालिका का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, तथा प्रत्येक सदस्य पदाधिकारी और सेवक महापालिका के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग ऐसे नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के इस रूप में कार्य करते समय उसकी उपेक्षा या दुराचरण के सीधे परिणामस्वरूप हुआ हो । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यह अधिभार निश्चय कौन करता है और इसकी सूचना कौन देगा ? आप और हम यह सब जानते हैं कि नगरमहापालिका के अन्दर जो अधिकारी होते हैं जो नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या सदस्य होते हैं वे दल विशेष के लोग होते हैं । वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं । जो सेवक हैं वे सीधे नगर प्रमुख के नीचे होते हैं । तो क्या इस संशोधन का अर्थ यह है कि इसके द्वारा जो मुख्य नगर अधिकारी होगा वह नगर प्रमुख या उप-नगर प्रमुख के विरुद्ध सरकार को सूचना देता रहेगा । वह कौन सी एजेन्सी होगी जिसके द्वारा यह अधिभार निश्चित किया जा सकेगा ?

इसमें कोई समय भी निश्चित नहीं किया गया है । यह बहुत जरूरी है । नियमानुसार नगर प्रमुख का एक वर्ष का कार्यकाल होगा तो अगर वह अगले साल नहीं चुना गया और दूसरा आता है तो नगर प्रमुख से अगर कोई गलती हुई थी तो उस समय उसे इगनोर किया गया, उसकी उपेक्षा की गयी और दूसरे वर्ष दूसरा आदमी आयेगा तो ये चीजें उसके ऊपर थोपी जाती हैं। आज स्तर इतना गिरा हुआ है कि उसमें जनता के नुमाइन्दों और जो जन सेवा करना चाहते हैं

उनके लिये नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख होना एक असम्भव-सी बात हो जायगी और लोग अपनी इज्जत बचाने के लिये इस स्थान पर आना नहीं पसन्द करेंगे । नगर प्रमुख को अपने नीचे के कर्मचारी और नीचे के जो लोग हैं उनके साथ काम करना पड़ता है । भ्रष्टाचार भी किस तरह से हर जगह भरा हुआ है । बहुत सी बातें नगर प्रमुख की नोटिस में भी नहीं आती हैं और बहुत सी बातों पर वे ध्यान भी नहीं देते क्योंकि महापालिकाओं में पार्टीबाजी चलती है और जनतंत्र में यह है कि आज एक पार्टी के व्यक्ति चुने जा सकते हैं और फिर दूसरी पार्टी के लोग चुने जा सकते हैं । अगर आज जो नगर प्रमुख है वह ५ वर्ष के लिये होता तभी ठीक बात थी, लेकिन जहां पर एक वर्ष के लिये होता है तो उसके ऊपर यदि हमें उसे ऐसी चीजों का शिकार बना दें, इस संशोधन के द्वारा तो यह कहां तक उचित होगा । इस धारा के खंड ३ में दिया हुआ है कि यदि अधिभार की कार्यवाही न की जाय तो महापालिका राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के विरुद्ध प्रतिकर के लिये "वाद" संस्थित कर सकती है ।

यह जो वाद की अर्थात् मुकदमा चलाने की बात कही गयी है उसकी भी एक अवधि निश्चित करनी पड़ेगी कि २ महीने के बाद या यह निश्चय होना चाहिये कि उस नगर प्रमुख के अवधि काल में ही आयेगा कि महापालिका के इस प्रस्ताव के कारण उतना नुकसान उठाना पड़ रहा है । यदि कोई निश्चित समय नहीं आता है तो फिर हम एक अनिश्चित समय के लिये जो सम्मानित व्यक्ति हैं उसे ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि जिसमें से उनके लिये निकलना कठिन हो जाता है ।

साथ ही साथ यह भी प्राविधान नहीं किया है कि वे कहां अपील करेंगे ? इसीलिये इन बातों पर विचार करके इसे संशोधित रूप से फिर से लाने की आवश्यकता है । १५ में कहा गया है "मूल अधिनियम की धारा १३९ की उपधारा (२) में शब्द "अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों" जिन्हें महापालिका राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्दिष्ट करे" के स्थान पर "अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से यू० पी० कोआपरेटिव बैंक अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों में जिन्हें महापालिका निश्चित करे" रख दिये जायं । समझती हूं कि यह जो संशोधन है यह बहुत खतरनाक है । महापालिका को अपनी आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में स्वयं अधिकार है । सरकार उसे छीन रही है । उसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है । इस संशोधन के द्वारा कोआपरेटिव बैंक को सरकार प्रिफरेंस देगी, फिर दूसरे अनुसूचित बैंक को देगी । तो मैं समझ नहीं पाई कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक को प्रधानता देकर अन्य अनुसूचित बैंकों को गौण स्थान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इससे महापालिका की अर्थ व्यवस्था को विशेष लाभ क्या होने वाला है ? एग्जिक्यूटिव को उसके अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है ? यह संशोधन कुछ उचित नहीं मालूम होता । कहा यह जाता है कि जो काम है वह जल्दी हो, लेकिन इसके पूर्व स्वीकृति की इस विधेयक में व्यवस्था करने के मानी यह होंगे कि रेडटेपिज्म बढ़ेगी और इससे दिक्कत अधिक पैदा होगी । मेरी समझ में इस विधेयक को लाने में जल्दबाजी की गयी है, इसको रिड्राफ्टिंग की आवश्यकता है ।

मेरा यह निवेदन भी है कि नगर प्रमुख के कार्यकलाप के लिये अगर १ वर्ष के बजाय ५ वर्ष रखा जाता तो उचित होता । एक, एक वर्ष के लिये नगर प्रमुख आते हैं और चले जाते हैं, इससे नगरमहापालिका के डेवलपमेंट के वर्क में रुकावट पड़ती है । एक नगर प्रमुख आता है उसे १, २ महीने तो विभाग की बातों को समझने में ही लग जाते हैं । सभासद ही नगर प्रमुख नहीं होते, बाहरी व्यक्ति भी हो सकते हैं । जब बाहरी व्यक्ति नगर प्रमुख चुना जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि उसे नगर महापालिका के कार्य की जानकारी हो ही । और नतीजा यह होता है कि २, ३ महीने ऐसे ही बीतते हैं । इसके बाद वह काम करने लगता है और जब वह समझने लगता है तो वह परिवर्तित हो जाता है फिर नये सिरे से सारा काम चलता है और प्रस्ताव पास होते हैं । इस तरह से सारी दिक्कतें आती हैं । जो हमारा ५ साल का अनुभव है उससे मैं कह सकती हूं कि नगर प्रमुख की अवधि एक वर्ष बहुत कम है । इसमें संशोधन होने की अत्यन्त आवश्यकता है । जिस रूप में यह बिल आया है अगर नियमों के

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

अनुसार परिवर्तन न हो सकता हो तो मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री जी जब दूसरा संशोधन लायें तो उसमें इसका समावेश अवश्य कर लें । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहती हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके फिर से यह लाया जाय ।

श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो बिल चल रहा है कि हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को स्थान दिया जा रहा है, यह कानून के परे है, गैर अखलाकाना है । यहां राष्ट्रपति गांधी जी का चित्र लगा हुआ है । (व्यवधान) उस तरफ देखिये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को मैंने बोलने की आज्ञा नहीं दी है । कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री बाबूसिंह—

जब तक देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी नहीं होगी तब तक गरीब, किसान और मजदूर का भला नहीं हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री बाबूसिंह—

आप विरोधी दलों के वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करके . . . . . .

श्री अधिष्ठाता—

मैं निवेदन करती हूं कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें या सदन छोड़ें ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री बाबूसिंह—

मुझे प्वाइंट आफ आर्डर से कोई सरोकार नहीं है । हिन्दी राष्ट्रभाषा है और प्रदेश की जनता बहुमत में इसको जानती है । आप जैसे समझदार और हिन्दी प्रेमी के सामने यह जुल्म ढाया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राममूर्ति जी आप अपना प्वाइंट आफ आर्डर रखें ।

श्री राममूर्ति—

मैं यह कह रहा था कि इस समय जो हमारा बिल चल रहा है वह हिन्दी का नहीं चल रहा है बल्कि महापालिका का बिल पेश है । हिन्दी का बिल तो पारित होकर कौंसिल में चला गया । इसलिये उसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिये । हां, इस बिल के बारे में बातचीत करें ।

श्री बाबूसिंह—

सही है । जो बिल पारित किया है उस पर हमें एतराज है . . . .

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री, होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष—

बाबूसिंह जी, सुनिये जरा । देखिये यह भाषा वाला बिल नहीं है ।

श्री बाबूसिंह—

इसीलिये तो मैं कहता हूं कि यह सारे काम काज बन्द कीजिये और विरोधी दल के लोगों को बुलाइये, बातचीत कीजिये, सदन का वातावरण ठीक कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

बाबूसिंह जी, या तो बैठ जाइये या फिर सदन छोड़ दीजिये । यह हिन्दी का बिल नहीं है ।

श्री बाबूसिंह—

मैं चाहता हूं कि उसी बिल पर फिर से विचार हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

मार्शल ! माननीय बाबूसिंह को सदन से बाहर ले जायें ।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री बाबूसिंह सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री मुल्तानसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा बाबूसिंह जी ने कहा. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इस वक्त नगरपालिका बिल चल रहा है । आप विराजिये और उस पर विवाद कीजिये ।

श्री मुल्तानसिंह—

मैं तो कहता हूं कि आप इस बिल को रोकिये, पहले हिन्दी वाले बिल को लाइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, या तो आप विराजिये नहीं तो जाइये ।

श्री मुल्तानसिंह—

देखिये, यह आपकी और इस सरकार की नादिरशाही, हिटलरशाही, कैसरशाही और रावण-शाही चलने वाली नहीं है । आप आज नादिरशाह जो लोग कुर्सी पर बैठे हुये हैं वह अपनी बेशरमी से बैठे हुये हैं । यहां भी और दिल्ली में ये बेशरम रंडिया आज कुर्सियों पर बैठी हुई हैं, ये सब नाकाबिल हैं । देश में भुखमरी है, चारों तरफ हाहाकार मचा है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मार्शल, इनको सदन से बाहर कीजिये ।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री मुल्तान सिंह ने सदन नहीं छोड़ा । तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से उन्हें सदन से बाहर ले गये ।)

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत है उसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। इसके उद्देश्य में यह निहित है कि सन् ५९ में जो विधेयक पेश हुआ था उसकी त्रुटियों की तरफ सरकार का ध्यान गया था और बहुत से संशोधन प्रस्तुत हुये थे जिन पर सरकार निर्णय नहीं कर सकी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो टुकड़े-टुकड़े (पीसमील) संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं उसका फल अच्छा नहीं होता। जो भी विधेयक लायें सोच समझकर पूर्णरूप से विचार करके लायें ताकि जो विधेयक हम बनायें वह कुछ दिन तक चल सके। इसके उद्देश्य में यह है कि "बहुत से प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं फिर भी यह आवश्यक समझा गया है कि अधिनियम की कुछ कमियों को दूर कर दिया जाय।" मेरा विनम्र अनुरोध है, कि जब बहुत से संशोधन पर विचार आपको करना ही है तो फिर इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी? आप यह कह सकते हैं कि आपको चुनाव कराने हैं, और चुनाव कराने के लिये कुछ संशोधन करना आवश्यक था। यह बात मानी जा सकती है कि अगर चुनाव के संबंध में कुछ नियम, उपनियम बना देते तब भी चुनाव हो सकते थे। यदि मूल अधिनियम में संशोधन करके आप चुनाव ही कराना चाहते हैं किन्तु चुनाव के संबंध में तो इस अधिनियम में संशोधन आप नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इसमें बहुत सी दूसरी बातें भी आप ला रहे हैं जिनका संबंध चुनाव से नहीं है। स्वायत्त शासन के विभाग लोकतंत्र की प्रथम सोपान हैं। इस पर हमको बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये, और तभी संशोधन लाना चाहिये। इसकी कमियों पर पूर्णरूपेण विचार होना चाहिये। जो संशोधन आवश्यक समझे जांय उनको प्रस्तुत करके उन कमियों को दूर कर लिया जाय। एक और बात है, सदन से आज विरोधीदल हट गया है इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। विरोधीदल की ओर से एक संशोधन आया है कि इस नगरमहापालिका विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। यद्यपि प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि श्री विश्वनाथ जी और श्री माधोप्रसाद जी सदन में उपस्थित नहीं रहे। मेरा अनुरोध है कि यह आवश्यक नहीं है कि जब प्रवर समिति का संशोधन लाया जावे तभी आप उस पर विचार करें। मेरा यह अनुरोध है कि अगर आप उचित समझें तो, बिना संशोधन आये ही इसको आप प्रवर समिति में भेज सकते हैं, और वहां से एक सप्ताह के अन्दर वह वापस आ सकता है। जो अवधि आप इसके लिये निश्चित करें उसके अन्दर इसका निर्णय हो सकता है, तब जो भी संशोधन आप चाहें ला सकते हैं। उसकी परिधि को घटाने बढ़ाने का भी अधिकार हो सकता है।

मैंने इस विधेयक को पढ़ा है इसमें कुछ कमियां मुझे मालूम हुई हैं। यह आवश्यक प्रतीत होती है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जहां विचार होकर सुन्दर रूप में इसे ला सकते हैं। जो बातें अच्छी समझी जायं उनको रखें लेकिन ऐसा करना अब संभव नहीं दिखाई देता फिर भी मेरे कुछ सुझाव हैं सदस्यों को अधिवेशन काल में कुछ सुविधा देने का प्राविजन किया गया है, नगर प्रमुख उप नगर प्रमुख को भी ऐसी सुविधायें देने का प्राविधान है जो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निश्चित होगा। उसमें कुछ प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। अभी समाचार पत्रों में देखा है कि यह प्रश्न किसी नगरमहापालिका के सामने आया जिसमें यह कहा गया था कि उसके कुछ अधिकारी दक्षिण भारत की यात्रा में गये और वे न मालूम कहां कहां घूमे। अगर उनके लिये कोई नियम नहीं होगा तो वे महापालिका के धन से कन्या कुमारी से काश्मीर तक भ्रमण कर सकते हैं। इसलिये आवश्यकता थी कि कुछ नियंत्रण उस पर हो और उस नियंत्रण को कड़ाई के साथ लागू किया जाय ताकि वह पूर्व निश्चय के अनुसार ही कार्य करें इसी प्रकार ५०० रुपये से अधिक वेतन पाने वालों की नियुक्ति करने का अधिकार नगर प्रमुख को दिया जाने का प्राविधान इसमें है। यह ठीक है कि उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की राय भी ली जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी नियंत्रण करने की आवयकता है। कुछ नियम, उपनियम इस संबंध में बनाये जाने चाहिये कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जायगी। अधिभार की कार्यवाही को विनियमित करने की व्यवस्था का प्राविधान

भी इसमें किया गया है। इसी प्रकार जो खंड संशोधित किये गये हैं उनका पूरा ब्योरा देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता लेकिन आवश्यक है कि उन सबके संबंध में एक बार फिर विचार किया जाय, तब हम इस संशोधन विधेयक को इस सदन में लायें। इसके लिये अगर मंत्री जी उचित समझें तो इसे एक प्रवर समिति को एक सप्ताह के लिये या ४ दिन के लिये भेज देवें। संभव है कि विरोधी सदस्य भी उसमें भाग ले सकें फिर इस पर विस्तृत रूप से विचार हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए यह सुझाव प्रस्तुत करता हूं।

*श्री लालबहादुरसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने के लिये मैं बधाई देता हूं। इसकी टिप्पणी को देखने से पता लगता है कि दो कामों के लिये यह विधेयक लाया गया है। पहला काम है चुनाव कराना तथा दूसरा है ५०० रुपये से अधिक तनख्वाह वाले पदों के लिये नगर प्रमुख को अधिकार देना। यह बिल एक तरह से ब्योरोक्रेसी को मजबूत करने के लिये बनाया गया है। जनता के फायदे के लिये इसमें कोई चीज नहीं है। मेरा आधा क्षेत्र वाराणसी नगरमहापालिका में आता है। इस नये एरिया में, जहां नगरपालिका ने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है, उसने कोई काम नहीं किया है। केवल उसने कर वसूल करना शुरू कर दिया है। जहां चुंगी पहले थी वहीं आज भी है और इसका नतीजा यह है कि जो लोग नगरपालिका की सीमा के अंदर भी आ गये हैं उनको भी चुंगी देनी पड़ती है। उनको कोई सुविधा आज तक नहीं मिली है, न पानी की, न सफाई की, लेकिन टैक्स देना पड़ रहा है। महापालिका को अधिकार है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के जमाने से कि वह जिसकी चाहे जमीन ले ले। कंपेंशेसन वह अपने नियमों के अनुसार देते हैं और उस जमीन को डेवलप करके वह बहुत ज्यादा पैसों में बेच देते हैं। डेवलप करने में वह कोई काम नहीं करते, लेकिन उसके एवज में रकम बड़ी लम्बी लेते हैं। हमारे यहां कानून बना है, उसके अनुसार भेलूपुर के किसानों की जमीन नगर महापालिका ने ले ली है और वह बहुत ही कम दाम पर ले ली गई है। माननीय मंत्री जी उसको खुद दिखवायें कि इतने कम दाम पर वह जमीन क्यों ली गई है? और वहां पर बड़े-बड़े लोग बिल्डिंग बनवा रहे हैं। मैं तो समझता था कि स्वायत्त शासन मंत्री माननीय शर्मा जी सोशलिस्ट नेचर के आदमी हैं और उनका यह बिल भी सोशलिज्म की तरफ एक अच्छा कदम होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पाया। यह संशोधन तो पास किया जाये क्योंकि वहां आपने वायदा किया है ३१ दिसम्बर तक चुनाव कराने का। अतः यह बिल अवश्य पास किया जाये। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह देखें कि इस बिल में कितनी नत्थियां लगी हुई हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बिल था जिसमें इतनी नत्थियां हो गई थीं कि वकीलों और काम करने वालों तक की समझ में नहीं आ पाती थी। तब आप अन्तरिम जिला परिषद् बिल लाये थे। तो इस बिल को तो आप पास कर लें और इसके बाद इसकी बैठक कर विचार करके इसको ठीक कर लें और दूसरा व्यापक बिल ले आयें।

दूसरी बात मुझे कहनी है कि उसके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन कर दूं हम लोग जो कारपोरेशन के क्षेत्र के नुमाइन्दे हैं, उनको भी नगर महापालिका का सदस्य मान लिया जाना चाहिये इसलिये कि हमको नगर महापालिका में दिक्कत होती है। अन्तरिम जिला परिषद् की तरह अगर हमको भी महापालिका का सदस्य मान लिया जाय तो काम में आसानी हो जायगी।

तीसरी बात यह है कि नगर महापालिका में ५०० रु० और उससे अधिक पाने वाले अधिकारियों की भर्ती के संबंध में नगर प्रमुख को जो अधिकार देने की बात है कि वह ५०० रु० मासिक या उसके अधिक पाने वालों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से करेगा। इसमें गोल-मोल की बात ठीक नहीं है। उसके लिये उसको अधिकार दे दें, लेकिन क्या उसके पास कम अधिकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर सिंह]

हैं। इसमें रिश्वत भी चल सकती है और सारी बातें हो सकती हैं, पार्टी बाजी भी हो सकती है। इसलिये मैं इस राय का हूं कि ५०० रु० और उससे अधिक की तनख्वाह की नौकरियां सरकार के हाथ में सुरक्षित रहें।

मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधेयक सरकार को फिर से वापस लेना पड़ेगा। धारा ४६ (क) है कि "जो भी व्यक्ति धारा ११ (ग) या (ख) का उल्लंघन करके कोई काम करता है या करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करता है, तो उसके विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा, जो ६ मास का हो सकता है अथवा उसे अर्थ दण्ड दिया जा सकता है, जो ५००रु० तक की धनराशि का हो सकता है अथवा यह दोनों ही दण्ड एक साथ भी दिये जा सकते हैं।" दण्ड की जो व्यवस्था है वह ठीक है और ऐसा होना भी चाहिये। लेकिन कौनसा अधिकारी दण्ड सिद्ध करेगा कि इसने अपराध किया है और इसको अमुक-अमुक दण्ड मिलना चाहिये ? अगर आप इस महत्वपूर्ण कार्य को सेनिटरी इंसपेक्टर आदि पर छोड़ते हैं तो घूसखोरी बढ़ जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इस समय दो चीजें म्यूनिसिपैल्टीज में फैल रही हैं---एक पार्टीबाजी और दूसरी घूसखोरी की। तो इस व्यवस्था से इन बातों को और बढ़ावा ही मिलेगा। इसको निर्णय करने के लिये यदि कोई बड़ी अथारिटी नहीं होगी तो न्याय नहीं होगा।

एक बात यह भी मुझे कहनी है कि जो यह कहा गया है कि इन धाराओं के होते हुए भी बहुत से बीच आफ लाज होते रहे हैं। उन बीच आफ लाज के लिये उनको कुछ और अधिकार पुलिस के और जेल के देने होंगे। ट्रैफिक पुलिस सीधे आप म्यूनिसिपैलिटी को दे दीजिये। सरकार की तरफ से भरती भले ही हो, लेकिन तनख्वाह वहां से ही दा करे।

अब मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आज यह भले ही पास हो जाय, क्योंकि चुनाव कराना है, लेकिन फिर सारी चीजों को सोच करके एक नया बिल ले आवें जिससे कारपोरेशन का काम चल सके। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विचार माननीय सदस्यों ने यहां प्रकट किये उनमें से ज्यादातर लोगों की यह राय हुई कि अलग से विधेयक क्यों लाया गया। मैंने पहले अर्ज किया था कि इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह था कि नगर महापालिकाओं में कार्य देखने से मालूम हुआ कि बहुत सी गड़बड़ियां थीं जो कि डिफिकल्टीज रिमूवल ऐक्ट से दूर की गयीं। उसकी मियाद ३० सितम्बर, १९६४ तक है, इसलिये जो जो प्राविधान उसके द्वारा किये गये थे उन्हें हमें इस बिल में लाना है। दूसरा कारण यह है कि दफा ३१ (२) में यह प्राविधान है कि नगर महापालिकाओं में रीसेंट जो सेंसस होगी उसके अनुसार सीट्स का अलोकेशन होगा वार्ड्स में। पहले चुनाव सन् ६० में हुए और सन् ६१ में मतगणना हुई। तो इसी कानून के अनुसार जहां जहां जिन वार्ड्स में आबादी में बढ़ोत्तरी हुई है या कहीं कमी हुई तो उसके अनुसार सीट्स देनी चाहिये। अगर हमने सेंसस में देखा कि बहुत से मुहल्ले ऐसे हैं जहां वार्ड-वाइज जनगणना नहीं होती और अगर हम अपनी जनगणना करायें तो आगामी चुनाव तक नहीं हो सकती, इसलिये हमने प्राविधान किया है कि एक फारमूला निकाला जाय। वह यह कि जो आबादी की बढ़ोत्तरी सारे शहर में हुई है उसका ऐवरेज निकाल कर, सारे शहर की जो वोटर लिस्ट है, उसमें जो बढ़ोत्तरी हुई हो उससे दूनी आबादी मुहल्ले की मान लेंगे और शहर की जो ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है उसी परसेंटेज से हम आबादी फिक्स कर लेंगे। तो हमको जो मदद मतगणना के दफ्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से आबादी के जानने में नहीं मिल रही है वह पूरी हो जायगी । हमारी मंशा यही थी कि चुनाव को किसी तरह रोकना न पड़े ।

यह जो कहा गया कि पूरा विधेयक आना चाहिये था और जब चुनाव की वजह से ही लाया गया था तो और चीजों को क्यों लाया गया। इस संबंध में मैं भी माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि हमने जिन चीजों को निर्विवाद समझा उन्हीं को हम इसमें लाये हैं । आपको मालूम ही होगा कि मेयर और डिपटी मेयरों की कान्फ्रेन्सेज भी हुई हैं और उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं तथा कुछ सुझाव अभी नहीं दिये हैं। उन्होंने अपनी एक सब कमेटी भी बनाई है जिसमें डाक्टर कपूर, जो पिछले वर्ष यहां के मेयर थे, भी हैं, उनकी अध्यक्षता में वह बनी है, उस कमेटी ने भी अपनी कुछ सिफारिशें भेजी हैं और कुछ पर वह समिति अभी भी विचार कर रही है । उनको कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव धारा ११४ और ११५ के बारे में देने थे जो अभी नहीं आ पाये हैं। ११४ में यह है कि नगर महापालिका में कौन से कर्तव्य लाजमी हैं । ११५ में यह है कि कुछ काम जो नगर महापालिकाओं के डिस्क्रीशन पर हैं उनको वे अपनी मर्जी के अनुसार करें। इसकी बहुत लम्बी तालिका है । उन्होंने कहा कि अभी इस पर हम तय नहीं कर पाये हैं, विचार कर रहे हैं । इसलिये उसको स्थगित करना पड़ा । दूसरा विधेयक जब हम लायेंगे तो उसमें और सब बातों को रखा जायेगा । इस समय तो केवल हम उन्हीं बातों को लाये हैं जो निर्विवाद थीं। जब पूरा विधेयक आयेगा तो उस वक्त हम उसको प्रवर समिति में भेजेंगे । इसके लिये इतना समय नहीं है। इसको तो हमें ३० सितम्बर तक पास करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो सुविधायें अब तक रही हैं वह रहें और उसमें कोई गड़बड़ी न हो तो यह जरूरी है कि आप इस बिल को पास करें। माननीय मिश्र जी ने कहा कि चुनाव कराना था तो चुनाव को ही इसमें रखते । चुनाव को तो रखा ही है, कुछ और बातों का प्राविधान, जो इसमें आवश्यक था, उसको और कर दिया गया है।

माननीय रामकिशोर जी ने कहा कि मेयर की सिफारिशों पर विचार करना चाहिये था । हम उनकी सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। उनकी कुछ सिफारिशें हमारे पास आई ही नहीं हैं, इसलिये हम पूरा विधेयक भी नहीं ला सके। माननीय नरसिंह नारायण जी ने कहा कि विरोधी पार्टी के लोग नहीं हैं, इसे पास नहीं करना चाहिये । मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन का समय इसके लिये निर्धारित है । कुछ लोगों को अगर इसमें दिलचस्पी नहीं है तो हमें खेद है । विरोधी दल के विचार हमको नहीं मिल रहे हैं। कल का सारा दिन इसके लिये था और वह अगर इस विधेयक का महत्व समझते तो यहां रहते। जनता का पैसा खर्च होता है हम बार बार किसी विधेयक को स्थगित नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी पालीसी या नीति की बात भी नहीं है कि इसे प्रवर समिति में जाना हो । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सहमत होंगे कि सदन का काम भी नहीं रुकना चाहिये ।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि सभी सेवायें पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजने की क्या बात है । २०० रुपये से ऊपर की सेवायें पहले ही से पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से ली जाती हैं, सरकार में भी कमीशन से पूछ कर ही नियुक्तियां होती हैं । केवल यह परिवर्तन हम कर रहे हैं कि ५०० से ऊपर की सेवाओं को जिन्हें अभी तक मुख्य नगराधिकारी करते थे, नगर प्रमुख करेंगे, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन से राय लेकर। यह एक अच्छी परम्परा है।

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सेवाओं के केन्द्रीयकरण की क्या आवश्यकता है । कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यह रही है कि उनकी सेवाओं का केन्द्रीयकरण, प्रदेशीयकरण हो । इससे उनकी सेवाओं की कुछ गारन्टी भी होती है । हम कुछ सेवाओं का प्रदेशीयकरण करने की सोच रहे हैं । अगर कहीं झगड़े होते हैं तो वे भी इससे हल किये जा सकते हैं । इसी प्रकार की बात नगरपालिकाओं के संशोधन विधेयक में थी और उसको विरोधी पक्ष के नेता ने भी ताईद की थी ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि ऐसेंशियल सर्विसेज का स्पष्टीकरण होना चाहिये। मैं नहीं समझा कि उनका क्या मतलब है ? इसमें ११२ (ख) में लिखा है कि महापालिका की ये ये सेवायें, जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जलकर, रोशनी, परिवहन और अन्य सेवायें जो नियमों में दी जावें, ये सब ऐसेंशियल होंगी। यह बात कही गई कि इनके लिये छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये तो अलहदा से रूल्स हैं। सवाल यह है कि कोई एमर्जेंसी आये और ऐसे लोग जिनकी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है वे बिला छुट्टी के चले जावें, तो क्या किया जाय। इसके लिये दंड का भी प्राविधान है।

कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि १०,००० की जो छूट दी गई है कि महापालिकायें इतने की जमीन आदि चैरिटेबिल संस्थाओं को दे सकती हैं, यह छूट नहीं होनी चाहिये। किसी ने कहा कि महापालिकायें जितना चाहें दें। अभी तक कोई ऐसा प्राविधान नहीं था और इस पावर का बेजा इस्तेमाल होता था। अब यह रखा कि १०,००० से अधिक की कीमत के लिये सरकार की अनुमति लेनी होगी। राजेन्द्रकुमारी जी ने सरचार्ज की बात कही। आडिट में जो मालूम होता है कि कहीं अगर नगर प्रमुख ने या उपनगर प्रमुख ने गलती की है, गलत तरीके से खर्च किया है, नियमों की अवहेलना की है और आडिट रिपोर्ट में आता है तब उसके ऊपर सरचार्ज होता है और उसकी कार्यवाही होती है। उन्होंने कहा कि प्रमुख तो देखभाल के लिये होता है, उसके ऊपर सरचार्ज क्यों लगा दिया ? तो जब प्रमुख को खर्च करने का अधिकार है, वह खर्च करता है और गलत तरीके से खर्च करता है, आडिट रिपोर्ट में यह चीज आती है कि गड़बड़ी हुई है, तो फिर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके ऊपर नहीं लगना चाहिये। यह तभी होगा जब आडिट से यह मालूम हो कि उन्होंने इस तरह का कार्य किया है कि जिसमें सरचार्ज उस पर लगना चाहिये।

एक बात और उन्होंने कही थी कि यह जो गवर्नमेंट के पूर्वानुमोदन की बात रखी गई है भत्ता इत्यादि सदस्यों को देने के सिलसिले में, उसमें तो फिर प्रस्ताव ही नहीं आ सकेगा क्योंकि प्रीवियस अप्रूवल आफ दि गवर्नमेंट चाहिये। लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि प्रस्ताव ही न आ सके। इसके यह मानी हैं कि जो प्रस्ताव पास करके दें भत्ता नियत कर देंगे वह दिया नहीं जायगा जब तक कि अनुमोदन सरकार से न मिल जाय। इसमें कोई रोक प्रस्ताव वगैरह लाने के ऊपर नहीं है और जो वह है इसलिये है कि जिससे करीब करीब सब जगह के लिये एक सा रूल रहे। इसलिये यह रखा गया है।

एक बात और कही गई कि जो नगर प्रमुखों को अधिकार दिया गया है ५०० रु० तक के लिये, यह नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि एक तरफ हम यह जब मानते हैं कि हम इन संस्थाओं को कुछ महत्व देते हैं और नगर प्रमुख का कुछ महत्व है, तो उनके अधिकार बढ़ाने में तो कोई संकोच नहीं होना चाहिये। माननीय लालबहादुर सिंह ने कहा था कि कुछ गड़बड़ियां ऐसी होती हैं और श्री कुरील जी ने भी जो कहा था, लेकिन इस विधेयक में दफायें नहीं हैं उसके बारे में वह सुझाव उन्होंने दिये हैं। उन सुझावों को हम यथा समय देखेंगे। जब समय आयेगा तब देखेंगे क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारा नगर महापालिकाओं का संशोधन विधेयक पूरा तैयार है। वह जब आयेगा तब इन बातों पर विचार करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जो नगर महापालिकायें स्वयं दुरुस्त कर सकती हैं।

तो मैं यह समझता हूं कि जो मैंने सदन के सामने बात कही है उससे सारी बातों की सफाई हो गई होगी कि क्यों यह विधेयक जरूरी था और क्यों इसका पास करना जरूरी है ? और भी जो बातें और सज्जनों ने कहीं मेरे खयाल से उनका भी जवाब इसके अन्दर आ जाता है। अतः मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस पर वह विचार करे।

एक सदस्य—

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २—२८

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खण्ड (२२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: — उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा २ का संशोधन

"(२२) "आवश्यक सेवा" से तात्पर्य है धारा ११२—ख में निर्दिष्ट सेवा;"

३—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) में शब्द "जो सेंसस ऐक्ट, १९४८ के उपबन्धों के अधीन विगत अन्तिम जन-गणना में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "जो उस अन्तिम पूर्वगत जन-गणना में जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं निर्दिष्ट" रख दिए जाएं। — धारा ७ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— — धारा १८ का संशोधन

"१८—नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख को ऐसे भत्ते या सुविधायें, जो महापालिका राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे, दी जा सकती हैं।"

५—मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३०—क बढ़ा दी जाय: — नयी धारा ३०—क का बढ़ाया जाना

सदस्यों को वाहन भत्ता या सुविधायें

"३०-क—सभासदों तथा विशिष्ट सदस्यों को, महापालिका के और उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसा वाहन भत्ता या वाहन भत्ते के बदले में ऐसी सुविधायें दी जा सकती हैं जिनकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय।"

६—मूल अधिनियम की धारा ३१ में— — धारा ३१ का संशोधन

(१) उपधारा (२) में शब्द "सेंसस ऐक्ट, १९४८ के उपबन्धों के अधीन की गयी अन्तिम जन-गणना में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "उस अन्तिम पूर्वगत जन-गणना में, जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं, अथवा उपधारा (३) में व्यवस्थित रीति से निर्दिष्ट" रख दिए जायें; तथा

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) बढ़ा दी जाय:

"(३) यदि राज्य सरकार की राय में कस्बा में सम्मिलित किए जाने वाले नगर के किसी क्षेत्र की जन संख्या उपधारा (१) में उल्लिखित जन-गणना के आंकड़ों से तत्काल निर्दिष्ट न की जा सकती हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसी

जनसंख्या उस क्षेत्र से संगत विधान सभा की सूचियों में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या को ऐसी जन-गणना के समय निर्दिष्ट नगर में समाविष्ट क्षेत्र की कुल जनसंख्या से गुणा करके और तत्पश्चात् प्राप्त संख्या को नगर में समाविष्ट क्षेत्र से संगत विधान सभा की सूचियों में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या से भाग देकर निर्दिष्ट की जायगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "विधान सभा की सूचियों" का तात्पर्य विधान सभा की उन सूचियों से, है जो ऐसे दिनांक को प्रचलित हों जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय।"

धारा ३२ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (ग) में शब्द "क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "कक्ष" तथा शब्द "स्थानों" के स्थान पर शब्द "स्थान या स्थानों" रख दिए जायें; और

(२) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(घ) कि क्या किसी कक्ष के लिए निर्दिष्ट किए गए स्थान या स्थानों में से कोई स्थान अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित है।"

धारा ६३ का संशोधन

८—अंग्रेजी प्रति में मूल अधिनियम की धारा ६३ की उपधारा (३) के खण्ड (ए) में शब्द " clause (b) of " निकाल दिए जायें।

धारा ८५ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ८५ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) इंडियन ओथ्स ऐक्ट, १८७३ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जो सभासद अथवा विशिष्ट सदस्य निर्वाचित हो अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में संयोजित हो तथा प्रत्येक व्यक्ति जो नगर प्रमुख निर्वाचित हो गया हो अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप में शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा, अर्थात्:—

"मैं,————क, ख, जो महापालिका का सभासद/विशिष्ट सदस्य/नगर प्रमुख निर्वाचित विकास समिति
ईश्वर की शपथ लेता हूं
का सदस्य संयोजित हुआ हूं, ———— कि
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता तथा अखण्डता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा।"

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय :—

"(१-क) महापालिका के धारा ९ के अधीन संगठन या धारा ५३८ अथवा धारा ५३९ के अधीन पुनस्संगठन हो जाने के सात दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी निर्वाचित घोषित किए गए नगर प्रमुख, सभासदों और विशिष्ट सदस्यों का एक अधिवेशन बुलायेगा। डिवीजन का कमिश्नर और उसकी अनुपस्थिति

में जिला मैजिस्ट्रेट नगर प्रमुख को शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा और तत्पश्चात् नगर प्रमुख ऐसे सभासदों और विशिष्ट सदस्यों को, जो उपस्थित हों, शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा।"

१०—मूल अधिनियम की धारा ८८ में— धारा ८८ का संशोधन

(१) उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"ऐसे प्रार्थना-पत्र पर अधिवेशन, प्रार्थना-पत्र के दिए जाने अथवा तामील किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर बुलाया जायगा";

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधाराएं बढ़ा दी जायें :

"(२—क) उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रार्थना-पत्र देने या तामील किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर अधिवेशन बुलाया जा चुका हो तो, यथास्थिति, नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख, उक्त प्रार्थना-पत्र पर अलग से अधिवेशन बुलाने के बजाय, धारा ९१ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पहले से ही बुलाए गए अधिवेशन में सम्पादित किए जाने वाले कार्यों की सूची में, ऐसे प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित विषयों को सम्मिलित कर सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिवेशन ऐसे प्रार्थना—पत्र पर बुलाया गया अधिवेशन भी समझा जायगा।

(२—ख) नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख, यथास्थिति उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे सदस्यों के प्रार्थना-पत्र पर बुलाए गए अधिवेशन से भिन्न अधिवेशन को, ऐसी सूचना देकर, जिसकी उपविधियों द्वारा तदर्थ व्यवस्था की जाय, स्थगित कर सकता है।"

११—मूल अधिनियम की धारा १०७ में— धारा १०७ का संशोधन

(१) उपधारा (१) के प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"उप नगराधिकारी, सहायक नगराधिकारी, नगर अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पदों पर तथा ऐसे अन्य पदों पर जिनका प्रारम्भिक वेतन पांच सौ रुपए प्रति मास से कम न हो, नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, नगर प्रमुख द्वारा, विहित रीति से की जायेंगी, अन्य प्रकार से नहीं।"

(२) उपधारा (२) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"अन्य पदों पर, जिनका प्रारम्भिक वेतन दो सौ रुपए प्रति मास से कम न हो, नियुक्तियां राज्य लोक-सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् विहित रीति से की जायेंगी, अन्य प्रकार से नहीं।"

(३) उपधारा (५) में शब्द "पचास रुपए" के स्थान पर शब्द "पचास रुपए प्रति मास" रख दिए जाय।

नयी धारा ११२-क, ११२-ख, ११२-ग तथा ११२-घ का बढ़ाया जाना

१२—मूल अधिनियम की धारा ११२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें ११२-क से ११२-घ तक बढ़ा दी जायें :—

सेवाओं का केन्द्रीकरण

"११२-क—(१) धारा १०६ से ११० तक में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों की, जिसे वह उचित समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिए नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है जो राज्य की महापालिकाओं या महापालिकाओं और म्युनिसिपल बोर्डों के लिए समान हों तथा किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है।

(२) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों को, यदि वे उपयुक्त पाए जायें तो सेवा में विहित रीति से लिया जा सकता है।

११२-ख—महापालिका की निम्नलिखित सेवाएं आवश्यक सेवाएं होंगी :—

(क) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं;

(ख) जल-कल एवं यांत्रिक अभियन्त्रण सेवाएं;

(ग) मेहतर;

(घ) रोशनी विभाग का कर्मचारीवर्ग;

(ङ) परिवहन सेवाएं; और

(च) ऐसी अन्य सेवाएं जो नियमों में निर्दिष्ट की जायें।

आवश्यक सेवा के सदस्य अनुमति के त्याग-पत्र आदि न देंगे

११२-ग—आवश्यक सेवा का कोई सदस्य—

(क) (१) मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना; या (२) बीमारी अथवा ऐसी दुर्घटना के बिना जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय या ऐसे अन्य कारण के बिना जिसे मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत पदाधिकारी पर्याप्त समझे; या

(३) मुख्य नगराधिकारी को तीन महीने का लिखित नोटिस दिए ना—

न तो अपने पद से त्याग-पत्र देगा, न अपने पद के कर्तव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा; और

(ख) न अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जानबूझ कर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा जो मुख्य नगराधिकारी या ऐसे अन्य उपर्युक्त पदाधिकारी की राय में अदक्षतापूर्ण हो।

आपात की घोषणा करने का राज्य सरकार का अधिकार

११२-घ—(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि आवश्यक सेवाओं में से किसी के कार्यकलाप के रुक जाने या बन्द हो जाने से नगर के जन-समुदाय की सुरक्षा या स्वास्थ्य अथवा ऐसी सेवाओं को, जो जन-समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक हों, बनाए

रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि नगर में आपात विद्यमान है और ऐसी अवधि निर्विष्ट करेगी जब तक ऐसी घोषणा लागू रहेगी।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन आपात की घोषणा लागू हो, तब ऐसी आवश्यक सेवाओं का, जो विज्ञप्ति में निर्विष्ट की जायें, कोई सदस्य, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी विपरीत बात के होते हुए भी,

(क) बीमारी या ऐसी दुर्घटना के बिना जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय, न तो अपने कर्तव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा; और

(ख) न अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जान-बूझकर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा जो ऐसे पदाधिकारी की राय में जिसे राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे, अदक्षतापूर्ण हो।"

१३—मूल अधिनियम की धारा ११३ की उपधारा (२) में— धारा ११३ का संशोधन

(१) अंग्रेजी प्रति में खण्ड (ई) में शब्द "Mahapalika" के बाद कामा के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् आया हुआ शब्द "and" और कामा निकाल दिए जायें।

(२) खण्ड (च) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय तथा तत्पश्चात् शब्द "और" बढ़ा दिया जाय।

(३) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय :—

"(छ) धारा ११२-क के अधीन म्युनिसिपल सेवायें सृजित करना तथा उनमें भर्ती करना, वर्तमान पदाधिकारियों तथा सेवकों को उनमें लेना, और ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों का स्थानान्तरण, छुट्टी, दण्ड, जिसके अन्तर्गत पदच्युति और हटाया जाना भी है, अपील तथा अन्य आनुशासनिक विषय और सेवा की अन्य शर्तें।"

१४—मूल अधिनियम की धारा १२९ की उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— धारा १२९ का संशोधन

"(५) वह प्रतिफल (Consideration) जिसके लिए कोई अचल सम्पत्ति, अथवा उसमें निहित कोई अधिकार, स्वत्व या हित जो महापालिका का हो, बेचा जाय, पट्टे पर दिया जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जाय, उसके चालू बाजार मूल्य से कम न होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शैक्षिक, सांस्कृतिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६१ के अधीन रजिस्टर्ड किसी समिति अथवा परिनियत निगम के लिए भूमि पट्टे पर देने या बेचने की दशा में, पट्टे के सम्बन्ध में वार्षिक किराए के मूल्य के आधे से अनधिक अथवा किसी अन्य मामले में कुल बाजार मूल्य के आधे के बराबर की रियायत दी जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की गयी रियायत का कुल मूल्य दस हजार रुपए से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पिछले प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक रियायत महापालिका द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण--यदि प्रस्तावित रियायत के मूल्य के सम्बन्ध में अथवा इस सम्बन्ध में कि प्रस्तावित हस्तान्तरण का प्रयोजन शैक्षिक, सांस्कृतिक, या दानोत्तर है अथवा नहीं, कोई प्रश्न उठे तो राज्य सरकार का निर्णय महापालिका पर बन्धनकारी होगा।"

धारा १३९ का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा १३९ की उपधारा (२) में शब्द "अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों, जिन्हें महापालिका राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्दिष्ट करे" के स्थान पर शब्द "अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से यू० पी० कोआपरेटिव बैंक अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों में जिन्हें महापालिका निश्चित करे" रख दिये जांये।

नयी धारा १५२-क का बढ़ाया जाना

१६--मूल अधिनियम की धारा १५२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५२-क बढ़ा दी जाय :--

अधिभार

"१५२-क--(१) महापालिका का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, तथा प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी और सेवक महापालिका के किसी धन या संपत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार का भागी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग ऐसे नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के इस रूप में कार्य करते समय उनकी उपेक्षा या दुराचरण के सीधे परिणामस्वरूप हुआ हो।

(२) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरुपयोग में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

(३) यदि अधिभार की कार्यवाही न की जाय तो महापालिका राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के विरुद्ध प्रतिकर के लिये वाद संस्थित कर सकती है।"

धारा १५३ का संशोधन

१७--मूल अधिनियम की धारा १५३ के खंड (ङ) में शब्द "प्रकाशित किया जायगा" के पश्चात् आये हुए शब्द "और" के स्थान पर कामा रख दिया जाय तथा शब्द "अधिकार" और तत्पश्चात् आए हुए सेमीकोलन के बीच में शब्द "और वह रीति जिसके अनुसार अधिभार की कार्यवाहियां की जायेंगी" रख दिये जायं।

धारा २११ का संशोधन

१८--मूल अधिनियम की धारा २११ की उपधारा (२) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विधि न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के परिणामस्वरूप नयी निर्धारण सूची या उसका कोई भाग प्रभावी न हो सकता हो तो ऐसे आदेश या निर्णय के अधीन रहते हुये पुरानी निर्धारण सूची या उसका तदनुरूप भाग प्रभावी बना रहा समझा जायगा।

१९—मूल अधिनियम की धारा २१३ में : धारा २१३ का संशोधन

(१) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में तथा उपधारा (३) में जहां जहां भी शब्द "परिवर्तन" आया हो, उनके ठीक पश्चात् शब्द "या संशोधन" बढ़ा दिये जायें ;

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (१—क) बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय :—

"(१—क) संदेहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह आवश्यक न होगा कि धारा १४८ के अधीन कर की दर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप उपधारा (१) के खंड (ङ) के अधीन किये गये किसी परिवर्तन के संबंध में धारा १९९ से २०३ या धारा २०७ से २१० तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय ।"

२०—मूल अधिनियम की धारा ३६५ में— धारा ३६५ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द "राज्य सरकार द्वारा" के स्थान पर शब्द "इस अध्याय के अधीन" रख दिये जायें ;

(२) उपधारा (२) में शब्द "सरकार द्वारा" के स्थान पर शब्द "इस अध्याय के अधीन" रख दिये जायें ;

(३) उपधारा (४) में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव स बढ़ाया गया समझा जाय :

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ४२ के अधीन या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ की धारा ६० के अधीन विज्ञापित किसी विकास योजना के संबंध में इस धारा का अर्थ इस प्रकार किया जायगा मानो शब्द "धारा ३६३ के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९६७ को या उसके पूर्व" रख दिये गये हों ।"

२१—मूल अधिनियम की धारा ३६७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३६७—क बढ़ा दी जाय :— नयी धारा ३६७—क का बढ़ाया जाना

"३६७—क—महापालिका, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी समय और एसी शर्तों क अनुसार, जो वह आरोपित करे, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ४२, कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ की धारा ६० या इस अधिनियम की धारा ३६३ के अधीन विज्ञापित किसी योजना का परित्याग कर सकती है, और इस प्रकार परित्याग करने पर कोई भूमि जिसके संबंध में अभिनिर्णय देने के प्रक्रम तक अर्जन पूरा न हुआ हो, और ऐसी भूमि का स्वामी तथा अध्यासी, इस अध्याय के अधीन किन्हीं दायित्वों के अधीन न रह जायेंगे ।"

योजना का परित्याग

२२—मूल अधिनियम की धारा ४१७ की उपधारा (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— धारा ४१७ का संशोधन

"(क) किसी उपासना स्थान की किसी दीवाल के भीतर या किसी ऐसे स्थान के किसी उपमार्ग (passage), ड्योढ़ी (porch), ओसारा

(portico), कुर्सी (plinth) या बरामदे के नीचे कोई तहखाना या कब्र या मजार (interment) न बनायेगा ;"

नयी धारा ४६४–क का बढ़ाया जाना

२३—मूल अधिनियम की धारा ४६४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय :—

धारा ११२–ग और ११२–घ का उल्लंघन करने के लिये दण्ड

"४६४–क–जो भी व्यक्ति धारा ११२–ग या धारा ११२–घ का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है अथवा करने के लिये अनुत्तेजित करता है, तो सिद्ध दोष हो जाने पर उसे या तो कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः मास तक का हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपए तक का हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।"

धारा ४७२ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा ४७२ की उपधारा (२) में—

(१) खण्ड (ख) में कामा व शब्द, "इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार मुख्य नगराधिकारी के समक्ष" निकाल दिये जायें तथा शब्द "उस आपत्ति का" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २०९ क अधीन उसका" रख दिये जायें ;

(२) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(घ) धारा २१३ की उपधारा (१) के अधीन संपत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरुद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उक्त उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति न की गयी हो और ऐसी आपत्ति का निपटारा न किया जा चुका हो !"

धारा ४७३ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ४७३ में—

(१) खण्ड (क) में शब्द "ऐसे मूल्यांकन के विरुद्ध मुख्य नगराधिकारी को" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २०९ के अधीन ऐसे मूल्यांकन के विरुद्ध" रख दिये जायं ;

(२) खण्ड (ख) में शब्द "उक्त धारा" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४७२" रख दिये जायं ;

(३) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ग) धारा २१३ की उपधारा (१) के अधीन संपत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरुद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उस दिन जब उक्त उपधारा की प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति का निपटारा कर दिया जाय।"

धारा ४९२ का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की धारा ४९२ की उपधारा (१) में शब्द "धारा" तथा अंक "४१७" के बीच में अंक तथा शब्द "११२–ग, धारा ११२–घ या "धारा" रख दिय जायें।

२७—मूल अधिनियम की धारा ५७१ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें ५७१-क और ५७१-ख बढ़ा दी जायें :— नयी धारा ५७१-क और ५७१-ख का बढ़ाया जाना

नक्शे, नोटिस, आदेश, किसी महापलिका के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

"५७१-क—महापालिका के कब्जे की किसी रसीद, प्रार्थना-पत्र, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिवत् रखने वाले या मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाविधि प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्ट्या (*prima facie*) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों की लिये ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रुप में ग्रहण की जायगी, जिस आयति तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता ।

लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिये महापालिका के पदाधिकारियों या सेवकों को आहूत करने पर निर्बन्धन

५७१-ख—महापालिका के किसी पदाधिकारी या सेवक से किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें महापालिका एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसके तथ्य पिछली धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किये जा सकते हों, अथवा उसमें अभिलिखित विषयों या व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से ऐसा आदेश न दे ।"

२८—मूल अधिनियम की धारा ५७७ में खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय :— धारा ५७७ का संशोधन

"(ङङ) जब तक कि धारा १०६ में उल्लिखित पदों का महापालिका द्वारा सृजन नहीं किया जाता और उन पर इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार औपचारिक नियुक्तियां नहीं की जातीं—

(१) मुख्य नगराधिकारी खण्ड (ङ) में उल्लिखित वर्तमान पदाधिकारियों और सेवकों के पदनामों में ऐसे परिवर्तन करने के लिये सक्षम होगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, और इस प्रकार नामोद्दिष्ट पदाधिकारी और सेवक ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का संपादन करने के लिये सक्षम होंगे जो उन्हें अधिनियम और उक्त नियमों के अधीन सौंपे गये हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उप-खण्ड के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा दिये गय प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायगी जो उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकती है जो आवश्यक या वांछनीय हों ।

(२) राज्य स्वास्थ्य सेवा का ऐसा पदाधिकारी अथवा ऐसे पदाधिकारी जिसे/जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ नाम-निर्दिष्ट अथवा नामोद्दिष्ट करे, अधिनियम के अधीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे ।

(३) राज्य सरकार के ऐसे सेवक जो नियत दिन के ठीक पूर्व उक्त म्युनिसिपलिटी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट बोर्ड या

स्थानीय प्राधिकारी के यहां प्रति-नियुक्त हों, धारा १०६ और १०७ में किसी बात के होते हुए भी नगर महापालिका के यहां प्रति-नियुक्त समझे जायेंगे :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार, किसी भी समय, स्वतः अथवा महापालिका द्वारा अनुरोध किये जाने पर किसी ऐसे पदाधिकारी को वापस बुला सकती है अथवा किसी ऐसे पदाधिकारी के स्थान पर नया पदाधिकारी भेज सकती है।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से २८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ को और संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारंभ

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, परसों शुक्रवार को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ४ मिनट पर शुक्रवार २१ अगस्त, १९६४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१९ अगस्त, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३२ पर)

PANCHAYATI RAJ VIBHAG

MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 4580-B/XXXIII—64-R-62, dated 6, June 1964 :

June 6, 1964

No. 4580-B/XXXIII—64-R-62.—In exercise of the powers under section 237 of the Uttar Pradesh Kshettra Samits and Zila Parishads AdhiniLam, 1961 (U. P. Act no. XXXIII of 1961) the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the folloing U. P. Zila Parishads and Kshettra Samits (Location of Offices) Rules, 1964, after previous publication with Notification no. 3476-B/XXXIII—64-R-62, dated April 29, 1964, as required under sub-section (2) of section 237 of the said Adhiniyam :

Rules

U. P. Zila Parishads and Kshettra Samitis (Location of Offices) Rules, 1964

1. (1) These rules may be called the U. P. Zila Parishads and Kshettra Samitis (Location of Offices) Rules, 1964.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the *Gazette*.

2. The office of a Zila Parishad in a district shall be located in or within a radius of five miles from the headquarters of the district :

Provided that in the case of district Varanasi, the Zila Parishad may maintain a branch of its office at Bhadohi in addition to its office at the headquarters of the district.

Copy forwarded for information.

3. (1) The office of a Kshettra Samiti of a Khand shall be located in the building constructed by the State Government for the purpose :

Provided that where no such building has been constructed till the date of enforcement of these rules, the State Government shall take a decision for the location of such office in the manner hereinafter provided.

(2) The Pramukh of a Kshettra Samiti shall ask the Khand Vikas Adhikari to select one or more sites for the location of the office of the Kshettra Samiti.

(3) The Khand Vikas Adhikari shall, after making necessary enquiries and inspection of the site or sites which he may consider suitable for the purpose, submit his report to the Pramukh in the matter.

(4) The Pramukh shall, then cause to be prepared a map of the Khand showing therein important villages, the existing means of transport and communication linking the site or sites suggested by the Khand Vikas Adhikari and shall thereafter circulate the same along with the agenda of a meeting at least ten.days before the meeting is scheduled to be held.

(5) The Kshettra Samiti shall consider the site or sites suggested by the Khand Vikas Adhikari and pass a resolution as to the site for its office.

(6) The Khand Vikas Adhikari shall send a copy of the resolution passed under sub-rule (5) by the Kshetra Samiti along with the map mentioned in sub-rule (4) to the Zila Parishad. The Zila Parishad shall, along with its recommendations, forward such resolution and map to the State Government which shall consider the resolution along with such other facts and material as may be available in this connection and pass such orders for the location of the office of the Kshettra Samiti as it may think fit and such order shall be deemed to be final.

By order,
M. A. QURAISHI,
Sachiv.

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर)

ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के प्रगति के आंकड़े:—

क्र०-सं०	विषय	वर्षवार प्रगति			
		१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
१	स्वीकृत योजनाओं की अनुमानित लागत (लाख रु० में)	७-००	५५-९७	७०५-४८	*
२	कितने ब्लाकों में योजनायें स्वीकार की गईं ..	१	२१	११२	—
३	बजट प्राविधान (लाख रु०)	१-००	२०-३५	१२५-००	३५०-००
४	वास्तविक व्यय (लाख रु०)	०-४०	१८-९८	८०-००	३५०-०० (अनुमानित)
५	मानव दिवस की उपयोगिता (लाख रु०) ..	०-२६	१२-४२	३६-००	१५६-०० (अनुमानित)

*नोट—वर्ष १९६४-६५ के लिये ३५ ब्लाकों में १३०·९३ लाख रु० की योजनायें स्वीकृतार्थ विचाराधीन हैं ।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

प्रारम्भिक जांच के आधार पर अनुमानतः १९,००० रुपये की धनराशि का ग़बन विकास खण्ड रामनगर, जिला बाराबंकी, में हुआ है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति उत्तरदायी प्रतीत होते हैं :—

१—सर्वश्री इन्द्र विजय सिंह, (भूतपूर्व क्षेत्र विकास अधिकारी)
२—तव्वाब अली (सहायक विकास अधिकारी, कृषि)
३—भुवनेश्वरी प्रताप सिंह (ग्राम सेवक)
४—सत्यदेव श्रीवास्तव (ग्राम सेवक)
५—सियाराम (पंचायत मंत्री)
६—एस० के० बिसारिया (प्राविधिक सहायक)
७—श्रीराम (ग्राम सेवक)
८—इन्द्रजीत सिंह (प्रगति सहायक)
९—मोहम्मद असकरी (उप-प्रधान, हजरतपुर)
१०—रूप नारायण लाल (प्रधान, अलीनगर)।

मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई है तथा उपरोक्त क्रम-संख्या २ से ६ तक के दर्शाये गये कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। श्री इन्द्र विजय सिंह, भूतपूर्व क्षेत्र विकास अधिकारी, रामनगर (बराबंकी), जिनका प्रत्यावर्तन क्षेत्र विकास अधिकारी के पद से स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर हो गया है, उनको निलम्बित करने हेतु उप विकास आयुक्त, फैजाबाद, से अनुरोध किया गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३८ पर)

परिशिष्ट (अ)

ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्दर लिये गये ब्लाकों का जिलेवार विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चरण (सीरीज)	ब्लाकों की संख्या जो प्रदेश ने स्वीकृत की	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१	मथुरा ..	प्रथम	१	
२	फैजाबाद ..	द्वितीय	२	
३	गोंडा ..	,,	१	
४	बहराइच ..	,,	१	
५	वाराणसी ..	,,	४	
६	बाराबंकी ..	,,	१	
७	देवरिया ..	,,	२	
८	बस्ती ..	,,	१	
९	आजमगढ़ ..	,,	४	
१०	गाजीपुर ..	,,	१	
११	बलिया ..	,,	२	
१२	इटावा ..	,,	२	
		योग	२२	
१	फैजाबाद ..	तृतीय	३	
२	गोंडा ..	,,	५	
३	बहराइच ..	,,	४	
४	सुल्तानपुर ..	,,	११	
५	प्रतापगढ़ ..	,,	१	
६	गोरखपुर ..	,,	१७	
७	देवरिया ..	,,	२२	
८	आजमगढ़ ..	,,	४	
९	अलीगढ़ ..	,,	२	
१०	बस्ती ..	,,	१७	
११	झांसी ..	,,	१	
१२	जालौन ..	,,	२	
१३	वाराणसी ..	,,	५	
१४	गाजीपुर ..	,,	५	
१५	बलिया ..	,,	५	
१६	जौनपुर ..	,,	२	
१७	मिर्जापुर ..	,,	३	
१८	आगरा ..	,,	३	
		योग	११२	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चरण (सीरीज)	ब्लाकों की संख्या जो प्रदेश ने स्वीकृत की	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१	इलाहाबाद ..	चतुर्थ	८	राज्य सरकार के विचाराधीन है।
२	वाराणसी ..	,,	४	,,
३	मिर्जापुर ..	,,	६	,,
४	बस्ती ..	,,	१	,,
५	गोंडा ..	,,	२	,,
६	प्रतापगढ़ ..	,,	२	,,
७	बहराइच ..	,,	५	,,
८	मथुरा ..	,,	१	,,
९	आगरा ..	,,	४	,,
१०	एटा ..	,,	१	,,
११	गोरखपुर ..	,,	१	,,
			३५	
	कुल जोड़	..	१६९	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पष्ठ ३४१ पर)

प्रश्न संख्या २१, प्रशिक्षार्थी, जो १९६२–६४ तक भर्ती किये गये, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अलीगढ़

क्रम-संख्या	व्यवसाय	फरवरी, '६२ कुल संख्या भर्ती किये गये	फरवरी, '६२ शिडयूल्ड कास्ट भर्ती किये गये	नवम्बर, '६२ कुल संख्या भर्ती किये गये	नवम्बर, '६२ शिडयूल्ड कास्ट भर्ती किये गये	अगस्त, '६३ कुल संख्या भर्ती किये गये	अगस्त, '६३ शिडयूल्ड कास्ट भर्ती किये गये	मई, '६४ कुल संख्या भर्ती किये गये	मई, '६४ शिडयूल्ड कास्ट भर्ती किये गये
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	ड्राफ्टसमैन मेकैनिक ..	३८	१	४६	२	५८	१	४०	२
२	इलेक्ट्रीशियन ..	२६	२	६७	३	५३	४	४२	६
३	इन्स्ट्रूमेन्ट मेकैनिक ..	४३	६	६८	४	६८	३	३८	४
४	फिटर ..	४२	२	४८	२	६०	३	४०	५
५	मशीनिस्ट ..	३५	२	५०	३	५१	—	२७	२
६	टर्नर ..	३३	—	३८	—	४६	१	२४	१
७	मोटर मैकेनिक	४५	४	५५	५	४८	—	३४	६
८	मेकेनिक आई० सी० ई०	२४	—	२६	४	३६	२	१८	१
९	वेल्डर ..	१९	६	३१	३	५१	३	३९	१
१०	सीट मेटल ..	१७	९	१७	५	२१	१	२०	२
११	पैटर्न मेकेर ..	१०	३	१४	२	२३	१	१४	१
१२	वायरमैन ..	२६	३	२७	—	२४	—	२०	४
१३	ब्लैक स्मीथी ..	१४	१	१३	१	२१	१	१६	२
१४	मोल्डर ..	२०	४	२६	७	३	३	१७	२
	योग ..	४०२	४३	५२६	४१	५९३	२३	३८९	३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न संख्या २१, प्रशिक्षार्थी जो १९६२–६४ तक भर्ती किये गये इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, बुलन्दशहर
(हेडक्वार्टर, अलीगढ़)

क्रम-संख्या	व्यवसाय	फरवरी, १९६२		नवम्बर, १९६२		अगस्त, १९६३		मई, १९६४	
		कुल संख्या भर्ती किये गये	शिडयूल्ड कास्ट भर्ती किये गये	कुल संख्या भर्ती किये गये	शिडयूल्ड कास्ट भर्ती किये गये	कुल संख्या भर्ती किये गये	शिडयूल्ड कास्ट भर्ती किये गये	कुल संख्या भर्ती किये गये	शिडयूल्ड कास्ट भर्ती किये गये
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	फिटर ..	..	..	..	..	५९	२	५४	६
२	इलेक्ट्रीशियन ..	..	..	..	..	२९	१	१७	२
३	टर्नर ..	..	..	..	..	३०	३	२८	१
४	वायरमैन ..	..	..	..	..	२९	..	२२	१
५	ब्लैकस्मिथी ..	..	..	..	..	१५	..	..	..
६	कार्पेन्टरी ..	..	..	..	..	१४	२	..	..
	योग	..	..	..	..	१८६	८	१२१	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४५ पर)

बाराबंकी जिले के मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों पर नियुक्त मिड वाइफों की सूची

क्रम-संख्या	मिडवाइफ का नाम	वर्तमान नियुक्ति का स्थान	वर्तमान नियुक्ति किस तारीख से हुई	जिले में नियुक्ति किस तारीख से हुई
१	श्रीमती जेबुन्निसा बेगम	क़ुर्सी	१२-२-५९	१२-२-५९
२	श्रीमती रधिका देवी	दरयाबाद	२७-४-५४	२७-४-५४
३	श्रीमती टी० सिंह ..	रुदौली	५-६-५४	५-६-५४
४	श्रीमती एस० चरन ..	जैदपुर	३-१२-५३	३-१२-५३
५	श्रीमती सी० फैन्सिस	बड़ागांव	२३-५-६४	१५-१-५८
६	श्रीमती एस० बी० पाल	उधौली	१४-११-६३	१४-११-६३
७	श्रीमती ए० मार्गरेट..	रामनगर	२३-५-६४	७-५-६२
८	श्रीमती रमादेवी श्रीवास्तवा ..	रसौली	३-२-६४	१-५-५९
९	श्रीमती कृष्णाकुमारी	मनौली	१२-२-६४	११-१०-६३
१०	श्रीमती हशमत बेगम	मलौली	२३-६-६४	२-१२-६२
११	श्रीमती प्रीति रामहित	घुंघटर	२४-३-६०	२४-३-६०
१२	कुमारी वायला रेन्सिस	फतेहपुर	२३-५-६४	२३-५-६४
१३	कुमारी लिली कुट्टी ..	देवा	१४-५-६४	१४-५-६४
१४	श्रीमती सरस्वती देवी	हैदरगढ़	८-२-६४	३०-१-६३
१५	श्रीमती श्यामा देवी	गनेशपुर	३-९-६१	३-९-६१
१६	श्रीमती कुलवन्त क़ौर	बरौली	१८-६-६४	११-११-६३
१७	कुमारी रोजी एम० एस० लाल	जहांगीराबाद	२३-९-६३	२३-९-६३
१८	कुमारी सी० यु० अल्यम्मा	सूरतगंज	२५-६-६४	२५-६-६४

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४६ पर)

उत्तर प्रदेश में निर्मित बीयर के विभिन्न ब्रान्डों की एक्स फैक्टरी की कीमतों का विवरण

ब्रांड का नाम	मूल्य प्रति दर्जन बोतल (क्वार्ट्ज)	मूल्य प्रति दर्जन (अर्द्ध पाइन्ट्स)
	रु० न० पै०	रु० न० पै०
गोल्डन इगेल	१९.६०	१२.००
लाइन	२४.४०	१४.४०
लक्की	२६.९०	१५.६०
जिमकाना	२४.९०	१४.८०
ड्रमर	१९.६०	१२.००

उपरोक्त कीमतें एफ० ओ० आर० डेस्टीनेशन (F. O. R.) (destination) हैं और उत्तर प्रदेश में लागू हैं। इनमें पैकिंग खर्च, आबकारी ड्यूटी तथा बिक्री-कर सम्मिलित नहीं हैं।

पी० एस० ग० पी०—ए० पी० ११९ एल० ए०—१९६४—८६०।